

[Published in Part IV of the "Madhya Pradesh Rajpatra",
dated the 24th May 1968]

मध्यप्रदेश शासन

शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक १३ फरवरी १९६८.

क्र. ३२७-४३०२-बीस-५-टेक—भारत के संविधान के अनुच्छेद ३०६ के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मध्यप्रदेश के राज्यपाल मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा तकनीकी शाखा में भरती संबंधी निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

२. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.—ये नियम, मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा (तकनीकी शाखा) भरती नियम, १९६७ कहलायेंगे।

ये नियम, "मध्य प्रदेश राजपत्र" में अधिसूचना के दिनांक से प्रवृत्त होंगे।

३. परिभाषाएँ.—इन नियमों में, जब तक कि प्रसंग से अन्यथा ऐंप्रेक्षित न हो,—

- (क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से तात्पर्य राज्य शासन से है;
- (ख) "आयोग" से तात्पर्य मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से है;
- (ग) "शासन" से तात्पर्य मध्यप्रदेश शासन से है;
- (घ) "राज्यपाल" से तात्पर्य मध्यप्रदेश के राज्यपाल से है;
- (ङ) "अनुसूची" से तात्पर्य, इन नियमों से संलग्न अनुसूची से है;
- (च) "अनुसूचित जाति" और "अनुमूचित जन जाति" का वही अर्थ होगा, जो कि उनके लिये भारत के संविधान के अनुच्छेद ३६६ के खंड (२४) तथा (२५) में क्रमशः दिया गया है, तथा इसका तात्पर्य ऐसी जातियों और जन-जातियों से है, जो राज्य शासन द्वारा समर्थ-समय पर इस रूप से घोषित की जायें;
- (झ) "सेवा" से तात्पर्य मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा तकनीकी शाखा से है;
- (ज) "राज्य" से तात्पर्य मध्यप्रदेश राज्य से है।

४. विस्तार तथा प्रयुक्ति—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त), १९६१ में दिये गये उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

५. सेवा का गठन:—सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्:—

- (१) वे व्यक्ति, जो कि इन नियमों के प्रारम्भ होने के समय, अनुसूची एक में उल्लिखित पद मूलतः धारण कर रहे हों;
- (२) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के पूर्व सेवा में भरती किये गये हों; और
- (३) वे व्यक्ति, जो कि इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार, सेवा में भरती किये गये हों।

६. वर्गीकरण, वेतनमान आदि—सेवा का वर्गीकरण, उसका वेतनमान और सेवा में शामिल पदों की संख्या, इससे संलग्न अनुसूची एक में दिये गये उपवर्धों के अनुसार होगी :

परन्तु शासन, सेवा में शामिल पदों की संख्या में समय-समय पर स्थायी या अस्थायी रूप से वृद्धि या कमी कर सकेगा।

७. भरती का तरीका—(१) इन नियमों के प्रारम्भ के बाद, सेवा में भरती निम्नलिखित तरीकों से की जायगी, अर्थात्—

- (क) चयन करके सीधी भरती द्वारा;
- (ख) मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा के सदस्यों की निम्न पद संबंध से उच्च पद संबंध में पदोन्नति द्वारा;
- (ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में मूल रूप से ऐसे पद धारण करते हों, जैसा कि इस संबंध में उल्लिखित किया जाये।

(२) उपनियम (१) के संड (ख) तथा (ग) के अधीन भरती किये गये व्यक्तियों की संख्या कर्तव्य पदों की संख्या के अनुसूची दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

(३) इन नियमों के उपवर्धों के अधीन रहते हुए, भरती को किसी विशेष अवधि के दौरान भरे जाने के लिये अपेक्षित सेवा की किसी भी विशेष रिवित या रिवितयों को भरने के प्रयोजन के लिये अपनाया जाने वाला भरती का तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भरती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या अनुसूची क्रमांक (दो) के अनुसार होगी, किंतु ऐसे मामले उत्पन्न हो सकते हैं, जहाँ किसी निम्निकृत प्रतिशत को कड़ाई से अपनाता संभव न हो सके उदाहरणार्थ यदि केवल ३ ही पद हों, और उनमें से ५० प्रतिशत पद सीधी भरती द्वारा और ५० प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरे जाने हों, तो सीधी भरती और पदोन्नति से भरती के लिये पदों का विभाजन करना १:२ रहेगा। अतः पदोन्नति के लिये विभाग उम्मीदवारों को इस शर्त के अधीन अधिमान दिया जाना चाहिये कि विभाग में उपयुक्त और शर्हता प्राप्त उम्मीदवार विद्यमान हों, अन्यथा पदोन्नति पद भी सीधी भरती ही भरे जायेंगे।

(४) उपनियम (१) में दी गई किसी बात के हाले हुये भी, यदि शासन की राय में सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुये, ऐसा करना जरूरी ही तो, शासन, आयोग से परामर्श करने के बाद सेवा में भरती करने सबधी उन तरीकों को छोड़ जिसका कि उक्त उपनियम में उल्लेख किया गया है, ऐसे अथवा तरीके अपना सकेंगे, जो वह इस सबधी से जारी किये गये आदेश द्वारा निर्धारित करें।

८. सेवा में नियमित—(१) इन नियमों के प्रारम्भ होने के बाद सेवा में सभी नियुक्तियां शासन द्वारा की जायगी। सभी ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम (७) में उल्लिखित भरती के किसी भी तरीके से अपने करने के अतिरिक्त किसी भी तरीके से नहीं की जाएगी।

(२) सारल अल्कार नीति के अनुसार सिविल याचिक (मैकेनिकल), विद्युत (इलेक्ट्रिकल), लैटिकल (मार्टिल), दर भवार (टेली कम्युनिकेशन), या इलोक्ट्रोनिक्स की शाखाओं में व्याख्याता वाली की (प्रमाणित) गा अस्थायी पदों पर इन नियमों के अनुसार भरती किये गये

मिल

या

खत

प्रति

रण

स्था

रान

लये

स्थो

हों,

धी

भा-

सा-

ता

की

वा

ऐसे

वन

के

गुर्

ओं

मे

व्यक्तियों की अपेक्षित किये जाने पर भारत में या विदेश में कहीं भी प्रतिरक्षा सेवाओं में या प्रतिरक्षा प्रयोगों से संबंधित निर्माण कार्यों में कम से कम ४ वर्ष की अवधि के लिये, जिसमें प्रशिक्षण की अवधि भी सम्मिलित है, सेवा करनी होगी।

६. सीधी भरती की पात्रता की शर्तें—उम्मीदवार को चयन के लिए पात्र होने हेतु निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात्—

(१) आयु (क) चयन प्रारंभ होने की तारीख के बाद आने वाली पहिली जनवरी को उसमें (अनुसूची तीन के बाने ३ में निर्दिष्ट) आयु पूरी कर ली हो, किन्तु (अनुसूची तीन के बाने ४ में) निर्दिष्ट आयु पूरी न की हो।

(ख) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का हो, तो अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट दी जाएगी।

(ग) उन उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में जो कि मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी हों अथवा उन्हें चुके हों, नीचे उल्लिखित सीमा तक तथा शर्तों की अधीन रहते हुए, छूट दी जाएगी—

(एक) शिक्षा विभाग के स्थायी अध्यापकों को अपनी आयु में से अपने द्वारा शासकीय संस्था में अध्यापन कार्य में व्यतीत की गई कुल अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह पद के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से अधिक न हो।

(दो) अस्थायी शासकीय कर्मचारियों की आयु उस पद के संबंध में जिसके लिये अधिकतम आयु सीमा ३० वर्ष निर्धारित की गई हो, ३५ वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

(तीन) जो उम्मीदवार छठनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो, उसे अपनी आयु में से उस द्वारा पहिले की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक ७ वर्ष तक की अवधि भले ही वह अवधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण— “छठनी किये गये शासकीय कर्मचारी”, शब्दों से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो इस राज्य या संघटक इकाइयों में से किसी भी इकाई की शासकीय सेवा में कम से कम छः माह तक निरन्तर रहा हो और जो रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियमित हेतु अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।

(चार) जो उम्मीदवार, भत्तपर्व सेविक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहिले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

(पांच) वास्तविक विस्थापित द्वर्णकारों मर्यादा, उन द्वर्णकारों के मामले में जिनके पास श्रम विभाग के जापन कमान ३३४७-४००५-सौलह, दिनांक ७ मई, १९६३ के अनुसार पहचान-पत्र हो, अधिकतम आयु सीमा में ३५ वर्ष तक की छूट दी जायेगी, यह उन पदों के संबंध में ही लागू होता है जिनके लिये अधिकतम आयु ३० वर्ष हो।

स्पष्टीकरण— “भत्तपर्व सैनिक” शब्दों से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो निम्नलिखित मिळ्ही भी प्रवर्ष में रहा हो और जो सारल सरकार के अधीन कम से कम छः मास की अवधि तक सेवा करता रहा हो और जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में भवित्व पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियमित के लिये अव्यया आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मित्राधिता प्रूफिट की सिफारिशों के अधिकारण स्वरूप या कर्मचारियों की संख्या में सामान्य हूप से कमी की जाने से कारण।

(४)

छटनी की गई हो, अथवा जो आवश्यक कर्मचारियों की संख्या से अधिक घोषित किया गया हो—

- (१) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समयपूर्व निवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन मुक्त कर दिया गया हो;
- (२) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें कि दुवारा भरती किया गया हो, और (क) नियुक्ति की अल्पकालीन अवधि पूर्ण हो जाने पर, (ख) भरती संबंधी शर्त पूरी हो जाने पर, सेवामुक्त कर दिया गया हो;
- (३) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कर्मचारी;
- (४) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक), जिन्हें अनुबंध पूरा होने पर सेवा मुक्त किया गया हो (जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कर्मीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं);
- (५) ऐसे अधिकारी, जिन्हें कि अवकाश रिक्तियों पर, छः मास से अधिक समय तक निरुत्तर कार्य करने के बाद सेवामुक्त किया गया हो);
- (६) असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग किये गये धूतपूर्व सैनिक;
- (७) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवामुक्त किया गया हो कि वे सक्रम सैनिक बनने के योग्य नहीं रहे;
- (८) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिनको गोली लग जाने के कारण तथा धाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सा भंडल की सिफारियों के अनुसार सेवा से अलग कर दिया गया हो;

टीप:—उपर्युक्त कंडिका ६ (एक) (ग) (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अन्तर्गत जिन उम्मीदवारों को चयन के लिये चुना गया हो, वे यदि आवेदनपत्र प्रस्तुत करने के बाद या चयन होने के पहिले या बाद में सेवा से त्यागपत्र दें तो वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। तथापि यदि आवेदनपत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छटनी कर दी जाये तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे;

विभागीय उम्मीदवारों को चयन के हेतु प्रस्तुत होने हेतु नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिये।

(२) **शैक्षणिक अर्हताएः**—उसके पास सेवा के लिये निर्धारित ऐसी शैक्षणिक अर्हताएँ होनी चाहिये, जो कि अनुसूची तीन में दर्शायी गई है, परन्तु—

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"> (क) आपावादिक मामलों में आयोग, शासन की सिफारिश पर, किसी ऐसे उम्मीदवार को, अर्हता प्राप्त उम्मीदवार माले सकगी, जिसके पास भले ही इस खंड में निर्धारित अर्हताओं में से कोई भी अर्हता न हो, किंतु जिसने किसी अन्य संस्था द्वारा संचालित परोक्षाएँ एवं स्तर से उत्तीर्ण की हो, जो आयोग की राय में उम्मीदवार को चयन के लिये विचार करते हेतु उचित मानी गई हो; (ख) ऐसे उम्मीदवारों के संबंध में भी जो अन्यथा अर्हता प्राप्त हों, किन्तु जिन्होंने ऐसे विवेशी विश्वविद्यालयों से उपाधिया प्राप्त की हों, जो शासन द्वारा विशिष्ट रूप में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय न हों, आयोग के विवेकानुसार, चयन के लिये विचार किया जा सकेगा; |
|---|

(३) फीस.—उसे आयोग द्वारा निर्धारित फीस का भुगतान अवश्य करना होगा.

१०. अनहृता.—उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी के लिये, किसी भी जरिये से सहायता प्राप्त करने हेतु किया गया कोई भी प्रयास आयोग द्वारा चयन करने के संबंध में अनहृता माना जायेगा.

११. उम्मीदवारों की पात्रता के संबंध में आयोग द्वा निर्णय अन्तिम होगा.—चयन के संबंध में किसी भी उम्मीदवार की पात्रता अवश्य अन्तिम होगा.

१२. चयन द्वारा सीधी भरती.—(१) सेवा में भरती के लिए चयन ऐसी अन्तरावधियों में किया जायेगा, जिन्हे कि प्रशासन, समय-समय पर आयोग से परामर्श कर निर्धारित कर.

(२) सेवा के लिए उम्मीदवारों का चयन, आयोग द्वारा उनसे प्रत्यक्ष भैंट करने के बाद किया जायेगा.

(३) सीधी भरती के लिये उल्लंघन रिक्त स्थाँ में से १५ प्रतिशत तथा १८ प्रतिशत, स्थान तथा पिछ्की बार के अवशिष्ट स्थान, यदि कोई हों, क्रमः अनुसूचित जातियों तथा अनुभूचित जन-जातियों के लिये रक्षित रखे जाएंगे.

(४) इस प्रकार रक्षित रिक्त स्थानों को भरते समय, अनुभूचित जातियों तथा अनुभूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों की नियुक्ति पर विचार नियम १३ में निर्दिष्ट सूची में आये उनके नामों के क्रम के अनुसार किया जायेगा। चाहे अन्य उम्मीदवारों की तृलंगा में उनका सापेक्षिक स्थान कुछ भी बद्यों न हो.

(५) ऐसे उम्मीदवारों को जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जाति के हों, और जिन्हें आयोग द्वारा प्रशासन की दक्षता को बनाये रखने को दृष्टि से सेवा में नियुक्ति करने के लिये योग्य ठहराया गया हो, उननियम (३) के अन्वेषण, यात्राविधि, अनुभूचित जाति या अनुभूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों के लिये उत्तरी ही संल्या में अतिरिक्त रिक्त स्थान उत्पूक्त नियम १२ (३) में दी गई रीति से रक्षित रखे जायेंगे।

(६) यदि अनुभूचित जातियों और अनुभूचित जन-जातियों के उम्मीदवार, उनके लिये रक्षित सभी रिक्त स्थानों को भरने के लिये पर्याप्त संल्या में न मिल सके, तो शेष रिक्त स्थान अन्य उम्मीदवारों में से भरे जायेंगे, तथा अगले चयन के लिये अनुभूचित जातियों तथा अनुभूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों के लिये उत्तरी ही संल्या में अतिरिक्त रिक्त स्थान उत्पूक्त नियम १२ (३) में दी गई रीति से रक्षित रखे जायेंगे।

परन्तु यदि आगले चयन के समय सभी रक्षित रिक्त स्थानों, जिनमें अतिरिक्त रिक्त स्थान समिल हैं, को भरने के लिये पर्याप्त संल्या में उत्पूक्त उम्मीदवार न मिल सके, तो अतिरिक्त रिक्त स्थान या कि उनमें से वे रिक्त स्थान जो कि भरे न गये हों, समाप्त हो जायेंगे।

(७) आयोग द्वारा सिफारिश किये गये उम्मीदवारों की सूची.—आयोग ऐसे उम्मीदवारों से जिन्हें वह सर्वावधिक उपयुक्त समझे, विधिवत् अधिमान क्रम में रखे गये नाम व अन्य व्यारे तथा अनुभूचित जातियों और अनुभूचित जन-जातियों के उन उम्मीदवारों की नाम और अन्य व्यारे जो यद्यपि उन मानकों के अनुसार यह नहीं है किंतु जिन्हे आयोग ने प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का समुचित ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिये उत्पूक्त घोषित किया है, नियुक्ति प्राप्तिकारी को भेजेगा।

(८) पदोन्तति द्वारा नियुक्ति.—(१) योग्य उम्मीदवारों की पदोन्तति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिये एक समिति गठित की जायेगी, जिसमें अनुसूची चार में उल्लिखित सदस्य होंगे।

(२) समिति की बैठक ऐसी अन्तरावधियों में होगी जो कि साधारण तौर पर एक वर्ष से प्रधिक की न हो।

Statuary Laws.

(६)

१५. पदोन्नति, स्थानांतरण के लिये पात्रता संबंधी शर्तें—समिति उच्च पद पर पदोन्नति के हेतु उन सभी व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की एक जुलाई, को अनुसूची चार के खाने (२) में उल्लिखित निम्न पद या शासन द्वारा उसके समकक्ष धौषित किसी अन्य पद या पदों पर, कम से कम तीन वर्षों की सेवा (चाहे स्थानापन्थ, ग्रथवा मूल रूप से), पूरी करली हो, बशर्ते कि वे पदोन्नति पद के लिये न्यूनतम अनुभव संबंधी अर्हतायें, जो पदोन्नति पद पर सीधी भरती के लिये निर्धारित की गई हों, पूरी करते हों।

१६. उपयुक्त अधिकारियों की सूची तैयार करना—(१) समिति ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपर्युक्त नियम १५ में निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों, तथा जिन्हे समिति, सेवा में पदोन्नति, स्थानांतरण करने के लिये उपयुक्त समझती हो। यह सूची दो वर्ष तक होने वाले रिक्त स्थानों को भरने के लिये पर्याप्त होगी।

(२) ऐसी सूची में नाम सम्मिलित करने के लिये किया जाने वाला चयन वरिष्ठता पर समुचित ध्यान देते हुये, योग्यता तथा सभी दृष्टि से उपयुक्तता पर धारारित होगा।

(३) सूची में सम्मिलित किये गये अधिकारियों के नाम संबंधित संवर्ग में वरिष्ठता-क्रम से रखे जायेंगे:

परन्तु किसी ऐसे कनिष्ठ अधिकारी को, जो समिति की राय में विशेष रूप से योग्य उपयुक्त तथा हों उससे वरिष्ठ अधिकारियों की तुलना में सूची में उच्चतर स्थान दिया जा सकेगा।

(४) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रतिवर्ष पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण किया जायगा।

(५) यदि इस प्रकार के चयन, पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण के दौरान, म. प्र. शैक्षणिक सेवा (तकनीकी शाखा) के किसी सदस्य का अधिक्रमण प्रस्तावित किया जाये तो समिति प्रस्तावित अधिक्रमण के संबंध में अपने कारण लेखबद्ध करेगी।

१७. आयोग से परामर्जन—नियम १६ के अनुसार तैयार की गई सूची शासन द्वारा निम्नलिखित कागजों के साथ आयोग को भेजी जायेगी:—

(एक) सूची में सम्मिलित सभी व्यक्तियों के अभिलेख;

(दो) म. प्र. शैक्षणिक सेवा (तकनीकी शाखा) के ऐसे सभी सदस्यों के अभिलेख, जिनको सूची में को सिफारिशों के अनुसार अधिक्रमित किया जाना प्रस्तावित हो;

(तीन) म. प्र. शैक्षणिक सेवा (तकनीकी शाखा) के किसी भी सदस्य के प्रस्तावित अधिक्रमण के संबंध में समिति द्वारा लेखबद्ध किये गये कारण;

(चार) समिति की सिफारिशों के संबंध में शासन के विचार;

१८. चयन सूची—(१) आयोग, शासन से प्राप्त हुये अन्य दस्तावेजों के साथ समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर विचार करेगा। और यदि उसमें वह कोई परिवर्तन आवश्यक न समझे तो उसे अनुमोदित करेगा।

(२) यदि आयोग, शासन से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करेगा आवश्यक समझे, तो वह प्रस्तावित करिवर्तनों के संबंध में शासन को समिति करेगा तथा शासन उस पर यदि कोई भूत प्रकट करे, तो उस पर ध्यान देते हुये ऐसे संबोधनों सहित, यदि कोई हो, जो उसकी राय में ज्यायोचित तथा उपयुक्त हों, सूची को प्रतिम रूप से अनुमोदित कर देंगा।

(३) आयोग द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित सूची म. प्र. शैक्षणिक सेवा (तकनीकी शास्त्र) के सदस्यों को पदोन्नत करने के लिये चयन-सूची होगी।

(४) चयन-सूची सामान्यतया, तब तक लागू रहेगी, जब तक कि नियम १६ के उपनियम (४) के अनुसार उसका पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण न किया जाये :

परन्तु चयन-सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्तव्य के निवाह अथवा पालन में गंभीर चूक होने की स्थिति में शासन के कहने पर चयन-सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि आयोग उचित समझे तो, ऐसे व्यक्ति का नाम, चयन-सूची से हटा सकेगा।

१६. चयन-सूची से सेवा में नियुक्ति.—(१) चयन-सूची में सम्मिलित अधिकारियों की सेवा संबंध के पदों पर नियुक्तियाँ उसी क्रम से की जायेंगी, जिस क्रम से ऐसे अधिकारियों के नाम चयन-सूची में होंगे:

परन्तु यदि प्रशासनिक आवश्यकताओं के कारण जरूरी हो, तो किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसका नाम चयन-सूची में सम्मिलित न किया गया हो, या जिसका नाम चयन-सूची में दिये गये क्रम में अगले स्थान पर हो, सेवा में उस स्थिति में नियुक्त किया जा सकेगा, जबकि शासन का इस बात से समाधान हो जाय कि उक्त रिक्त स्थान के तीन माह से अधिक समय तक चालू रहने की सभावना नहीं है।

(२) जिस व्यक्ति का नाम सेवा की चयन-सूची में शामिल किया गया हो, उस व्यक्ति को, सेवा में नियुक्त करने के पूर्व आयोग से परामर्श करना सामान्यतः तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन-सूची में उसका नाम शामिल करने की तारीख तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख को बौच की अवधि में उसके कार्य में कोई ऐसी गिरावट न आई हो, जो शासन की राय में ऐसी हो, जिससे उसका सेवा में नियुक्त किया जाना उचित न हो।

२०. परिवीक्षा.—सेवा में सीधे भरती किये गये प्रत्येक व्यक्ति को एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

२१. निर्वचन:—यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उठे, तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा, और उस पर उसका निर्णय अन्तिम होगा।

२२. छटा:—इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह ऐसे व्यक्ति के संबंध में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, राज्यपाल की ऐसी रीति से कार्यवाही करने की शक्ति को सीमित या कम करती है, जो राज्यपाल को उचित और न्याय प्रतीत होती हो :

परन्तु मामले पर किसी ऐसी रीति से कार्यवाही नहीं की जायेगी जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो।

२३. निरसन घोर व्यावृत्ति:—इन नियमों के सभी विवरणों नियम, जो इनके प्रारम्भ होने के ठीक पहिले लागू हों, इसके द्वारा, इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले विषयों के संबंध में निरसित किये जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्यवाही इन नियमों के तत्परतानी उपबंधों के प्रश्नों दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जायेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
एम. एच. राव, सचिव,

अनुसूची क्रमांक ?

मध्यप्रदेश चौकणिक सेवा प्रशासनिक तकनीकी एवं गैर तकनीकी शाखा

सेवा में सम्पादित पदों के नाम

क्रमांक	(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)	(१०)
पदों की संख्या										
वर्गीकरण										
वेतनमात्र										
फैफियत										

१.—शासकीय इंजीनियरी महाविद्यालय (तकनीकी संबंध)

१. प्राच्यप्रदेश के शासकीय इंजीनियरी महाविद्यालयों के प्राचार्य	५ प्रथम श्रेणी	८. १५००—१८००.
२. प्राच्यापक (तकनीकी)	१३ प्रथम श्रेणी	८. १५००—१८००.
(१) सिविल		
(२) यांत्रिक (मैकेनिकल)		
(३) विद्युत् (इलेक्ट्रिकल)		
(४) व्यावहारिक यांत्रिकी (एला. मैकेनिकल)		
(५) दूरसंचार (टेली कॉम्युनिकेशन)		
(६) रसायन (केमिकल)		
(७) हल्की तथा मिथ्यातृ प्रौद्योगिकी (लाइट		
मेटल एवं एलायडेक्सिलाजी		
(८) खनिकर्म (माइनिंग)		
(९) धातु कर्म (फिल्डर्जी)		

(३) धातु कर्म (मेटलर्जी) ..

क्र.	प्रबन्धक (रिडर) (तकनीकी)	६६ प्रथम शेणी	रु. ५००—११५०
(१)	सिविल	२०	
(२)	गांतिक	२२	
(३)	विद्युत्	२२	
(४)	व्यावहारिक गांतिकी	२	
(५)	दूर संचार	२	
(६)	रसायन/दर्जनियादि, रसायन शास्त्र (केमिस्ट्री)	२	
(७)	हल्की तथा मिश्र घातु प्रोत्तोगिकी	२	
(८)	सनिकर्म	२	
(९)	धातुकर्म	२	

(8)

४.	कम्पशाला अधीक्षक	५	प्रथम श्रेणी	रु. ६००—११५०
(१)	योग्यिक	६		
	व्याख्याता (तेजवरार) (तकनीकी)			
(२)	सिविल	२७	११६	प्रथम श्रेणी
(३)	योग्यिक	३७		
(४)	विद्युत्	२३		
(५)	व्यावहारिक यांत्रिकी	६		
(६)	इर सचार	६		
(७)	रसायन/इंजीनियरिंग, रसायन शास्त्र (कमिट्टी)	५		

(१०)

(५)

(४)

(३)

(२)

(१)

(२)

(१)

(१) हल्की तथा मिश्र थातु प्रौद्योगिकी
 (२) खनिकर्म
 (३) थातु कर्म

६. महापक कम्पशाला आवधिक
 (१) यांत्रिक

६ प्रथम श्रेणी रु. ३५०—५५०.
 वास्तकीय इंजीनियरो महाविद्यालय (गैर तकनीकी संचार)

१३ प्रथम श्रेणी रु. १००—१२००.
 १३ प्रथम श्रेणी रु. १००—१२००.

७. प्राचापक (गैर तकनीकी)
 (१) भौतिक शास्त्र (फिजिक्स)
 (२) रसायन शास्त्र (कैमिस्ट्री)
 (३) गणित (मैथमेटिक्स)
 (४) शैक्षिकी (जिञ्चोलाजी)

१३ प्रथम श्रेणी रु. ६००—६६५०.
 (१) भौतिक शास्त्र
 (२) रसायन शास्त्र
 (३) गणित
 (४) शैक्षिकी

१८

६३. प्रथम श्वरा	रु. ३५०—८५०.
(१) भौतिक शास्त्र	२३
(२) रसायन शास्त्र	१८
(३) गणित	२०
(४) भौमिकी/व्यावहारिक गौणिकी	२
<hr/>	
१०. अंगेजी व्याख्याता	५
११. रजिस्टर	५
१२. प्राचारण	१२
१३. विभागाध्यक्ष	४३
(१) सिविल	८
(२) यांत्रिक	११
(३) विद्युत्	११
(४) व्यावहारिक यांत्रिकी	११
(५) संरचनात्मक	११
(६) धाराकर्म	११
(७) वस्त्र	११
(८) आटोमोबाइल	११
(९) खनिकर्म	११
(१०) घोषण निपाण (फार्मसी)	११
(११) शास्त्र कला	११
(१२) विकिता प्रयोगशाला प्रैद्वितीकी	११

(११)

चार—शासकीय मंहिला विविध शिल्प शाला (गैर तकनीकी संवर्ग)		(६)			
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
१४. प्राचार्य, मंहिला विविध शिल्प शाला	१ प्रथम श्रेणी ..	रु. ७००—१००.	..
१५. किमानाथ्यक्ष	२ द्वितीय श्रेणी ..	रु. ३६०—७००.	..
(१) सामाजिक नारी-नृदलि तथा शोधवर्त्तक
(२) वस्त्र सज्जा तथा चेज़ भूषा निर्माण
	
१६ आख्याता तकनीकी विविध शिल्प शाला जिसमें मंहिला विविध शिल्प शालाएं भी सम्मिलित हैं।			१२३ प्रथम श्रेणी] ..	रु. ३५०—८५०	..
(१) सिविल	३०	..	
(२) यांत्रिक	३२	..	
(३) विद्युत	२५	..	
(४) संरचनात्मक	२	..	
(५) शालकर्म	८	..	
(६) वस्त्र	८	..	
(७) चर्म प्रैद्योगिकी	२	..	
(८) शाटोमीवाइल	२	..	
(९) खनिकर्म	४	..	
(१०) इंजीनियरिंग रसायन शास्त्र	७	..	
(११) श्रीचौर्याक रसायन शास्त्र	२	..	
(१२) व्यावहारिक भौमिकी	२	..	
(१३) वास्तु कला	२	..	
(१४) चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी	२	..	
			१२३	..	

१७. व्याख्याता (गौर तकनीकी)

(१)	भौतिक शास्त्र	६३
(२)	रसायन शास्त्र	६३
(३)	गणित	६३
(४)	शास्त्रज्ञी / मानव शास्त्र श्रमिक संबंध तथा लेखा	६६
(५)	शास्त्र	६५
(६)	सचिवालयीन कार्य-पद्धति तथा शीघ्रतेवत्	२
(७)	वस्त्र सज्जा तथा वेष-भूषा	२
	शोषण नियम (फार्मसी)	*४

६३

*द्वितीय श्रेणी ३६०—५००

१८. सहायक व्याख्याता / जूनियर व्याख्याता / सीनियर अनुदेशक
 (तकनीकी)

(१)	चिकित्सा	५८
(२)	यांत्रिक	५०
(३)	विद्युत्	३७
(४)	संस्करणात्मक	२
(५)	श्रीटोमोवाइल	२
(६)	वाटर-कम्प	२
(७)	शोषण नियम (फार्मसी)	२
(८)	चम्पशोधागिकी	२
(९)	वानिकर्म	२
(१०)	चिकित्सा प्रयोगशाला प्रीचर्चा	२
(११)	वास्तु कला	२
(१२)	सचिवालयीन कार्य-पद्धति तथा शीघ्रतेवत्	२
(१३)	वस्त्र सज्जा तथा वेष-भूषा नियम	२

१८८

*द्वितीय श्रेणी ३६०—५००

१९. द्वितीय श्रेणी ३६०—५००

१९९ द्वितीय श्रेणी ३६०—५००

(१९९)

(२४)

(३)

(४)

(५)

(२)

१६. कम्बला अधीक्षक
 (१) यांत्रिक ..
 (२) चम ..

१७ प्रथम श्रेणी ..

३५०—८५०.

१८

१९ द्वितीय श्रेणी ..

रु २६०—५००.

पांच.—शासकीय माध्यमिक तकनीकी शालाएं (तकनीकी संचार)

२१. अधीक्षक ..

२२. शाखाता (तकनीकी)
 (१) यांत्रिक ..
 (२) विद्युत ..

२५ द्वितीय श्रेणी ..

रु ३६०—१००.

२० द्वितीय श्रेणी ..

रु ३००—५००.

२१ द्वितीय श्रेणी ..

रु २७५—४७५.

२३. स्थिर पाठ्यक्रमों के लिए तकनीकी व्याख्याता ..
 (१) सिविल ..
 (२) यांत्रिक ..
 (३) विद्युत ..

२२ द्वितीय श्रेणी ..

रु २७५—४७५.

२३. स्ट्रीम पाठ्यक्रमों के लिए तकनीकों व्याख्याता।

११

कुः—कला निकेतन जबलपर (तकनीकी शैणी)

२४ प्राचीन

विद्यामालायम् बहु-श्रोदोग्निकी

३१८ श्रीकृष्णगीता (तात्त्विकी)

10

१८

5

23

۱۰

— | मैत्रियोऽस्मै | मैत्रिये निराक

Digitized by Google

यांत्रिक

विद्युत्

6

10

६३

१८ कर्मचारी फोरमेन

卷之三

१२ प्रथम अणी :: हे ३५०—८५०

(१५)

क्ष:— तकनीकी शिक्षा संचालनालय तथा मध्यप्रदेश।

तकनीकी शिक्षा मण्डल के भवीत प्रशासनिक पद

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
१०. संचालक, तकनीकी शिक्षा	१. प्रथम श्रेणी ..	१. ६००—११५० यदि व्यक्ति क्रमः विविष्ट शिल्प शाला विभागध्याल के संबंध संवर्ता इंजीनियरी महा विश्वालय के प्रबाचक के संबंध से लिए जाएं अन्यथा ५५०—६५० यदि व्यक्ति गैर तकनीकी शिक्षा / प्रशासन से लिए जाएं।			
११. उप संचालक, तकनीकी शिक्षा / उप सचिव, मध्यप्रदेश तकनीकी	५ प्रथम श्रेणी ..				
१२. नीची शिक्षा मण्डल.	६ द्वितीय श्रेणी ..				
					(११)

मनुसूती — दो॥

कलांक
विभाग का नाम सेवा क्रमांकम्

कर्तव्य पर्दे भरे जाने काले कर्तव्य पर्दे की संखा का प्रतिक्रिया
की कुल संख्या सीधी मरडी देवा के मूल/प्रस्थानी घटतां की पदार्पणि शारा भय सेवाओं के व्याख्या विवरण नियमों के स्थानांकरण द्वारा, चित्रम् ७ (६) देखिये।
(क) देखिये

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)
शिक्षा विभाग, तकनीकी शाखा	(१) तकनीकी संवर्द्धा, (प्रब्लेम शाखा) इंजीनियरी प्रहाविद्यालय प्रथम श्रेणी।	५	५	५	१००	प्रतिशत।
प्राचार्य इंजीनियरी प्रहाविद्यालय (प्रशासनिक तथा प्रधानपन)	(२) तकनीकी प्रहाविद्यालय इंजीनियरी प्रहाविद्यालय	२३	२५	२५	७५	प्रतिशत
सिविल यांत्रिक (मेकेनिकल) विद्युत् (इलेक्ट्रिकल) व्यावहारिक यांत्रिकी (एन्ला. मंकेनिलस)	२	२	२	२	४	
दूर क्रेन	२	२	२	२	२	
रसायन (केमिकल)	२	२	२	२	२	
हल्की चातु और मिश्र- चातु प्रौद्योगिकी (लाइट मेटल- प्रूफ एलाय टेक्नालॉजी)	१	१	१	१	१	

(२६)

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)
बहुनिकर्म (माइनिंग)	?	?	?	?	?	?
धातु कर्म (मेटलर्जी)	?	?	?	?	?	?
	२३					
प्रवाहक (रिडर) (तकनीकी), इंजीनियर महाविद्यालय	६६	२५	प्रतिशत	७५	प्रतिशत	१०० प्रतिशत
सिविल	२०	१५		५		५
गणित	११	५		५		५
विद्युत	११	५		५		५
व्यावहारिक गणितकी	११	५		५		५
इंसर्सन्चार	५	५		५		५
सामग्री इंजीनियरी	५	५		५		५
रसायन शास्त्र	५	५		५		५
हाल्की धातु तथा मिश्र धातु	२	१		१		१
प्रौद्योगिकी	१	१		१		१
सनिकर्म	१	१		१		१
धातु कर्म	१	१		१		१
	६६					
कर्मशाला अधीक्षक, इंजीनियरी	२					
महाविद्यालय						
गणितकी						

कम्बशाला अधीक्षक, इंजीनियर
महाविद्यालय
यांत्रिकी

१०० प्रतिशत

व्याख्याता (लेखनोकी)	इंजी-	११६	५० प्रतिशत	२० प्रतिशत
नियरी महाविद्यालय				
सिद्धिक	२७	३३	५	५
यांत्रिक	३७	३०	२	२
विद्युत	२३	५	२	२
व्यावहारिक यांत्रिकी	८	६	२	२
दूर संचार	६	६	२	२
रसायन इंजीनियरी, रसायन शास्त्र	८	६	२	२
हेल्पर थार्ट तथा मिश्र थार्ट	१	१	१	१
प्रौद्योगिकी	१	१	१	१
छानिकर्म	४	४	१	१
थार्ट कर्म	४	४	१	१
	११६			

सहायक कर्मचारा श्रीयोशक .. ८ ५० प्रतिशत ५० प्रतिशत

सांतिक

(२) गैर-तकनीकी संवर्ग (अस्थापन शाला) इंजीनियरी महाविद्यालय

प्रथम श्रेणी	२३	२५ प्रतिशत	५० प्रतिशत	२५ प्रतिशत
प्राच्याक, इंजीनियरी				
महाविद्यालय				
मौतिक शास्त्र (फिजिक्स)	४	२	१	१
रसायन शास्त्र (कैमिस्ट्री)	४	२	१	१
गणित (मैथेमेटिक्स)	४	२	१	१
भौमिकी (जियोलॉजी)	१	१	१	१
	२३			

महाविद्यालय
पक्ष की पदोन्नति
द्वारा (५५०-६५०)

(१६)

(१)

(२)

(३)

(४)

(५)

(६)

इचोनियरी महाविद्यालय के
प्रवाचन
भौतिक शास्त्र
रसायन शास्त्र
गणित
भौमिका

२० २५ प्रतिशत

२५ प्रतिशत

५० प्रतिशत

भौतिक शास्त्र
रसायन शास्त्र
गणित
भौमिका

३२ ३२ ३२ ३२

७०

व्याख्याता उंडरिनियरिंग
महाविद्यालय

६३ ८५ प्रतिशत

२५ प्रतिशत

५० प्रतिशत

भौतिक शास्त्र
रसायन शास्त्र
गणित
भौमिका/व्या. भौमिकी

६२ ६२ ६२ ६२

६३

द्वितीय श्रेणी

१०० प्रतिशत

व्याख्याता, अंडरिनियरिंग
महाविद्यालय

५ ५ प्रतिशत

भौतिक शास्त्र
रसायन शास्त्र
गणित
भौमिका

२० २० २० २०

(३६०—७००)

११ ८ १० ११

प्रतिशत महाविद्याल-
यीन सहायता प्राप्त्यात
फक्त की पदोन्नति द्वारा
(३६०—७००)

२० २० २० २०

५० ५० ५० ५०

(२१)

	द्वितीय श्रेणी	प्रतिशत
आख्याता, भंगी	५	१००
रजिस्ट्रर (प्रशासन)	२	१००
(३) तकनीकी संचर्च (अध्यापकशाला) विद्युत—शिल्प शालाएँ		
प्राचा ये, विद्युत-शिल्प शालाएँ		
प्राचासनिक लक्षा अध्यापन	१२	१०० प्रतिशत
विद्यालय, विद्युत-शिल्प शालाएँ		
सिविल	२	१०० प्रतिशत
यांत्रिक	२	१०० प्रतिशत
विद्युत्	२	१०० प्रतिशत
व्या. यांत्रिकी	२	१०० प्रतिशत
संस्कारणशिल्प	२	१०० प्रतिशत
चातुर्मुखी	२	१०० प्रतिशत
वर्जन (इंस्ट्राइल)	२	१०० प्रतिशत
ज्ञानोमालाइल	२	१०० प्रतिशत
सुनिकार्म	२	१०० प्रतिशत
प्रौद्योगिकी (फार्मसी)	२	१०० प्रतिशत
वाटुकला (शोकटक्षरण)	२	१०० प्रतिशत
चिकित्सा प्रयोगशाला	२	१०० प्रतिशत
प्रौद्योगिकी	२	१०० प्रतिशत
	४१	१०० प्रतिशत
कर्मशाला, अध्यापक, विद्युत शिल्प शालाएँ	१२	५० प्रतिशत
वांडिक	२	५० प्रतिशत
कर्म श्रीबोगिनी	२	५० प्रतिशत

(२२)

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)
व्याख्याता (तकनीकी) विविध-						
शिल्प शासाये जिसमें महिला						
विविध शिल्प शासाये भी						
शामिल हैं						
सिविल	१२३	५०	२०	२०	२०	२०
पार्किंग						
विद्युत्						
संरचनात्मक						
घात कर्म						
वस्त्र						
चर्म प्रैदोणिकी						
ओटोमोबाइल						
खनिकर्म						
इंजीनियरिंग रसायन शास्त्र						
शोधोनिक रसायन शास्त्र						
व्यावहारिक भौमिकी						
वास्तु कला						
चिकित्सा प्रयोगशाला						
प्रैदोणिकी						

१२३

द्वितीय श्रेणी

सहायक व्याख्याता/महिला	विविध शिल्पशाला	भोपाल सहित विविध शिल्प शालाओं के सीधियर अनुदेशक	१२४	८० प्रतिशत	२० प्रतिशत
सिविल	गांधिक (ने कोणिकल)	५८	५०	८	
	विद्युत् (इलेक्ट्रिकल्स)	५०	३२	८	
	संस्कृतशालक	३७	३०	८	
	ओटोमोबाइल	२	२	८	
	श्रीष्ठ निर्माण (फार्मसी)	२	२	८	
	चर्म शोधिकारी	२	२	८	
	बहिकमं	२	२	८	
	विकित्सा प्रयोगशाला	२	२	८	
	प्रौद्योगिकी				
	वास्तु कला	२	२	८	
	संतिवालयीन कार्य पर्दति	२	२	८	
	संथा शीघ्र लेखन	२	२	८	
	वन्न दला तथा वेष-कृषा	२	२	८	
	निर्माण	२	२	८	
			१४४		

सहायक कर्मशाला प्रधानक,
विविध शिल्प शालाएँ
प्रौद्योगिक

५० प्रतिशत ५० प्रतिशत

(६)

(७)

(८)

(९)

(३)

(४)

(१)

(x) शासकीय भविता विविध शिल्प शासाये (गैर सकनीकी) संवर्गं ।

प्राचार्य, भविता विविध वित्त
शासाये।

१०० प्रतिशत

द्वितीय—बेणी

(५) गैर सकनीकी संवर्गं (भ्रष्टापन शासा) विविध शिल्प शासाये, जिनमें भविता विविध शिल्प शासाये भी सम्मिलित हैं।

द्वितीय—बेणी

भविता विविध शिल्प शासा का
विभागावधि

१०० प्रतिशत

सुचिकालयीन कार्येन्दुलि
तथा शोध लेखन।

१०० प्रतिशत

वस्त्र सज्जा [तथा वेष-मूला
विषणि

१०० प्रतिशत

व्याख्याता (गैर सकनीकी)

७५ प्रतिशत

भौतिक शास्त्र (फिजिक्स)

१०० प्रतिशत

रसायन शास्त्र (कोम्प्लेटी)

१०० प्रतिशत

गणित

१०० प्रतिशत

निम्न

(२४)

संस्कृत शास्त्र (केवलस्त्री) १२
गणित १६
योगजी (पातव शास्त्र) १२
शम्पिक संबंधी तथा द्वेषा शास्त्र
सर्वालयीन कार्य पद्धति
तथा शीघ्रतेवत १२

२८

२२

निपाण
गौषध निर्माण (फार्मेसी) १५

६३

(६) तकनीकी संबंधी (अध्यापन शाखा) माध्यमिक तकनीकी शाखाये.

द्वितीय—शेणी

शवधारक, (प्रशासनिक तथा
शास्त्राधार)

१५

२५ प्रतिशत

७५

प्रतिशत

११

प्रतिशत

११

प्रतिशत

४

प्रतिशत

११

व्याख्याता (तकनीकी)
योगिक
विद्युत

१५
१५
३०

व्याख्याता (तकनीकी)
स्ट्रीम पाठ्यक्रम
सिविल
योगिक
विद्युत

११
११
११
११

१५
१५
१५

१५
१५
१५
१५

१५
१५
१५
१५

(२५)

(१)

(२)

(३)

(४)

(५)

(६)

(७)

(८)

(९)

(१०)

(१) तकनीकी संवर्क (तकनीकी शाखा) कला निकेतन, जबलपुर.

प्रधम—श्रेणी

प्राचीन प्रारम्भिक तथा

प्राचीन

विभागाध्यक्ष, मुद्रण

व्याख्याता (तकनीकी)

(कला निकेतन, जबलपुर)

सिविल

यांत्रिक

विद्युत्

गणिक मानचिकारी

मुद्रण प्रोडोक्टिक्स

लेलित कला/व्यावहारिक

कला

१०

१०० प्रतिशत

५० प्रतिशत

५० प्रतिशत

५० प्रतिशत

५० प्रतिशत

२० प्रतिशत

१०६

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२० प्रतिशत

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

२०

सहयोग व्याख्याता/सीनियर
मनुदेशक/तकनीकी विद्यार्थी

१६ ५० प्रतिशत २० प्रतिशत

सिलिंडर

योनिक

विद्युत

प्रैमोटोर/इल

इंसेप्टर
मुख्य
विद्युत/चालाकी कला

१६

प्रथम—श्रेणी

संचालक फोर्मेन,
कला निकेतन, चक्रपुर

१०० प्रतिशत

(c) तकनीकी (संवर्ग) (प्रशासनिक शाला) संचालक, तकनीकी विद्या मन्डल.

प्रथम—श्रेणी

संचालक, तकनीकी विद्या

१०० प्रतिशत

(२७)

१०० प्रतिशत लासकीय

इंजीनियरी महा-
विद्यालय से प्राचार्य
के संबर्ग से स्था-
नांतरण द्वारा.

५० प्रतिशत लासकीय
प्रवाचन
महा-
विद्यालय से प्राचार्य
के संबर्ग से स्था-
नांतरण द्वारा.

उपर्युक्त/उप सचिव .. ५ ..

१०० प्रतिशत

५० प्रतिशत लासकीय
प्रवाचन
महा-
विद्यालय से प्राचार्य
के संबर्ग से स्था-
नांतरण द्वारा.

से स्थानांतरण द्वारा.

उपकृत हैं।

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)
वित्तीय—शेषी						
सहायक संचालकः	...	४	...	१	...	
सहायक संचालकः	...	४	...	१	...	
१०० प्रतिशत	विविध	शिल्प	विविध	शिल्प	विविध	शिल्प
५० शालांगो के व्याख्याताओं (गैर तकनीकी) में से बारें कि वे प्रशासनिक कार्यों में रचि- रखते हों। ५० प्रतिशत संचालनालय तकनीकी विद्या के उपयुक्त शब्दोंको ने से (इस संबंध में नीति, शासन द्वारा शब्दमोहित की जा चकी है) योग्यता तथा वरिष्ठता के आधार पर,						
१०० प्रतिशत	विविध	शिल्प	विविध	शिल्प	विविध	शिल्प
५० शालांगो/माध्यमिक/तकनीकी शालांगो के व्याख्याता (गैर तकनीकी) से स. बारें कि वे प्रशासनिक कार्यों में रचि रखते हों। ५० प्रतिशत मञ्चप्रदेश तकनीकी विद्या संडल के उपयुक्त शब्दोंमें से, यदि मञ्चप्रदेश तकनीकी विद्या संडल में उपयुक्त उम्मीद- वार न निल तर्के तो तकनीकी विद्या संचालनालय से योग्यता तथा वरिष्ठता के आधार पर						

कनू मुच्ची—तीन
विभाग का नाम व्यक्तिमत्तम शास्त्रिक शहरीतम

कफियत

शास्त्रिक शहरीतम

(१) नाम व्यक्तिमत्तम शास्त्री सीमा (३) व्यक्तिमत्तम शास्त्री सीमा (५)

दिशा सकनीकी संबंधी प्रथम शेषी

प्राथ्यापक उक्तनीकी शास्त्रकीप हंजी
निपरी महाविद्यालय.

प्रथम शास्त्रीक ५५

वर्ण

सर्ववित्त विषय में इंजीनियरों ने स्नातकोत्तर उपाधि या उसके समतुल्य उपाधि तथा अव्याख्यन/तकनीकी शिक्षा का प्रशासन/
शोध-कर्प, ग्रामोपिक काप में ७ वर्ष का अनुभव, जिसमें ५ वर्ष
का इंजीनियरी महाविद्यालय में अध्यापन का अनुभव होना
चाहिये।

या

सर्ववित्त विषय में कम से कम डिजिटेड शेषी की उपाधि या इसके समतुल्य उपाधि तथा अव्याख्यन/तकनीकी शिक्षा के प्रशासन/
शोध-कर्प शायामिक काप में कामग १० वर्ष का अनुभव,
जिसमें ५ वर्ष का इंजीनियरी महाविद्यालय में अध्यापन का
अनुभव होना चाहिये। उस उम्मीदवारों को एविमान विद्या
लयमा, ग्रामोपिक पाठ्य कानूनकारत उपाधि हो।

या, ऐसीकी में प्रथम या द्वितीय शेषी की लगातकोत्तर उपाधि या
इसमें समतुल्य उपाधि तथा अव्याख्यन या बोध या इत्यत्ते कन्त
७ वर्ष का अनुभव, जिसमें ५ वर्ष का इंजीनियरी महाविद्यालय
में अध्यापन का अनुभव होना चाहिये। उच्चतर इर्हताओं
वाले उम्मीदवारों को शाध्यापन दिया जायगा।

(५०)

टीप:—ए. एम. शार्ड. ई. (सेक्रेटर "ए" तथा "बी" उत्तरी) की
दोनों दिनांक १९८५ के अनुसार यांत्रिकीय

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
प्रवाचन, शासकीय इंजीनियरी महाविद्यालय	आधिक से आधिक ४० वर्ष.	इंजीनियरी में स्नातकोत्तर उपाधि या इसके समतुल्य उपाधि तथा श्रव्यापन/शोध कार्य/प्रायोगिक कार्य/तकनीकी शिक्षा के प्रशासन में लगभग ३ वर्ष का अनुभव जिसमें से लगभग एक वर्ष का इंजी- नियरी महाविद्यालय में ग्राह्यापन का अनुभव होना चाहिये.			
प्रवाचन, शासकीय इंजीनियरी महाविद्या- लय.					
व्याख्याता, तकनीकी इंजीनियरी महाविद्यालय.	२१	३०			

इंजीनियरी की संबंधित शाखा में कम से कम द्वितीय श्रेणी की
उपाधि या इसके समतुल्य उपाधि तथा श्रव्यापन/शोध कार्य/
प्रायोगिक कार्य/तकनीकी शिक्षा के प्रशासन में लगभग ५ वर्ष
का अनुभव, जिसमें से लगभग एक वर्ष का इंजीनियरी महा-
विद्यालय में ग्राह्यापन का अनुभव होना चाहिये। स्नातकोत्तर
उपाधि वाले उपभोदयारों को अधिमान दिया जायगा।

शुद्ध या व्यावहारिक भौमिकी में द्वितीय श्रेणी की स्नातकोत्तर
उपाधि या इसके समतुल्य उपाधि तथा व्यावहारिक भौमिकी
के शेष भाग में श्रव्यापन और/या व्यावहारिक अनुभव और भौ-
मिक शास्त्र और/या भू-सास्त्र का विशिष्ट ज्ञान.

बी. ई. की प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी की उपाधि तथा १ वर्ष का
अनुभव.

यांत्रिक अधिकारी इंजीनियरी में कम से कम द्वितीय श्रेणी की बी. ई. या
बी. एस. सी. की उपाधि या इसके समतुल्य उपाधि तथा एक
वर्ष का व्यावहारिक अनुभव.

सहायक कर्मचारा अधिकारी इंजीनियरी में कम से कम द्वितीय श्रेणी की बी. ई. या श्रेणी महाविद्यालय.

शिक्षक से श्रधिक ३० वर्ष. शिक्षक इंजीनियरी में कम से कम द्वितीय श्रेणी की बी. ई. या बी. एस. सी. की उपर्युक्त वर्ष के समतुल्य उपाधि तथा एक वर्ष का व्यावहारिक अनुभव.

टीप.—ए. प. शाह. ई. (सेक्रेटर "ए" तथा "बी" उत्तरी) की अद्दत्ता विवेय श्रेणी की उपाधि के समतुल्य अनुभवी.

योग्यिक होनेवाली में कम से कम द्वितीय श्रेणी की प्रवर्गित या

इसके समतुल्य लोपाधि तथा लगभग ५ वर्ष का अनुभव, निम्नमें से ३ वर्ष का किसी विद्यालय कर्मचारा का अनुभव,

गेर तकनीकी संवर्ग.

प्रायापक, इंजीनियरी महाविद्यालय. ३० ५०

प्रवाचक, इंजीनियरी महाविद्यालय २६ ४५

व्याख्याता, प्रथम श्रेणी, अंग्रेजी के २१ ३०

व्याख्याता को छोड़।

अंग्रेजी के व्याख्याता, द्वितीय श्रेणी २१ ३०

विविध—सिल्व शाला

प्रथम श्रेणी संवर्ग.—

प्रत्यार्थ, महिला विविध-शिल्प। २६. श्रधिक से श्रधिक ५०

वर्ष

शाला।

कला/विज्ञान/गृह-विज्ञान/वात्स-विज्ञान/इंजीनियरी या शोध-विज्ञान में कम से कम द्वितीय श्रेणी की उपाधि तथा शोधणिक संस्था/प्रशासन में कम से कम ८ वर्षों का अनुभव, जिसमें ३ वर्षों का शास्त्राध्यापन का अनुभव होना चाहिये। व्यावसायिक संस्था के प्रशासन का अनुभव वांछित होगा।

संबंधित विषय में डॉक्टर की उपाधि तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में अव्यापन का लगभग १० वर्ष का अनुभव या
संबंधित विषय में डॉक्टर की उपाधि तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में अव्यापन का लगभग ५ वर्ष का अनुभव या शोध कार्य।

शोधकार्य—प्रथम या द्वितीय श्रेणी की मास्टर उपाधि या इसके समतुल्य उपाधि।

अधिकारी—उन उम्मीदवारों की अधिकारीत किया जायगा जिन्हें अध्यापन कार्य का अनुभव हो।

संबंधित विषय में प्रथम या द्वितीय श्रेणी की मास्टर उपाधि या इसके समतुल्य उपाधि।

(३१)

वास्तु सामन्विकार।

कम से कम द्वितीय श्रेणी में बी. आर्क. या वास्तुकला में एन. डी.
तथा ५ वर्षों का अव्यापन/ब्यावहारिक अनुभव.

महिला विविध शिल्प शाला भोपाल में
वस्त्र-सूचना तथा नेच भूषण-विसरण।

(वास्तु सामन्विकार)।

२६ आधिक स आधिक ४० वर्ष.

कम से कम द्वितीय श्रेणी में बी. आर्क. या वास्तुकला में एन. डी.
तथा ५ वर्षों का अव्यापन/ब्यावहारिक अनुभव.

महिला विविध शिल्प शाला भोपाल में
विविहासी शिल्प शाला भोपाल में
विविहासी शिल्प शाला भोपाल में

वर्ष.

महिला विविध शिल्प शाला भोपाल में
विविहासी शिल्प शाला भोपाल में
शिल्प शिल्प शाला भोपाल में

वर्ष.

रोग विज्ञान में एम. डी. या इसके सम्बुद्ध उपाधि तथा ३ वर्ष का
अनुभव.

या

वस्त्र तथा वस्त्र निर्माण में कम से कम द्वितीय श्रेणी की ओर एक सी.
एम. बी. आर्क. या वस्त्र प्रबंधन अनुभव जिसमें २ वर्ष का अनुभव
विज्ञान (प्रैमेलाजी) या जावाहु विज्ञान (वैज्ञानिक जीवजागी)

विज्ञान में अनुभव.

या

द्वितीय श्रेणी की वर्णित उपाधि तथा कंपनी ला बोर्ड की सेन्टरी-
शिप में प्रकाशाधि और ५ वर्ष का अनुभव, जिसमें से ३ वर्ष का
अव्यापन अनुभव होना चाहिये.

वांछनीय.—उम्मीदवारों को सर्वेक्षण करने शैरविभागों का संचालन
करने संवधी जान और अनुभव होना चाहिये.

वास्तुशाला (सकनीकी) शासकीय
विविध-शिल्प शालामें तथा कला
निकाल जबलपुर।

वर्ष

२६ आधिक से आधिक ५०

या

इंजीनियरी में द्वितीय श्रेणी की उपाधि या इसके समतुल्य उपाधि
तथा एक वर्ष का अव्यापन/ब्यावहारिक अनुभव.

टीप.—ए. एम. आई. ई. (ए. एम. आई. ई. का सेवकान, "ए" तथा
सेवकान "बी" उत्तरी) की शहरता, द्वितीय श्रेणी की उपाधि के
समक्ष मात्री जायगी।

या

संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि.

तदेव

आव्याहा, श्रीष्ठि निर्माण-विज्ञान

२१

कम से कम स्नातकोत्तर उपाधि तथा विक्रम-विद्या शालाओं/
इंजीनियरी/महाविद्यालयों/उच्चतर माध्यमिक शालाओं/
माध्यमिक तकनीकी शालाओं या उपाधि महाविद्यालयों में
अध्यापन का ३ वर्ष का अनुभव.

तदेव

आव्याहा, श्रीष्ठि

२२

(३४)

श्रतियार्थी—प्रथम या द्वितीय श्रेणी की मास्टर उपाधि अधिभास्यतः
अध्यापन का अनुभव प्राप्त उपाधिकारों को अधिमान दिया
जायगा।

३० अधिक से अधिक ३१
वर्ष

शासकीय विविध-वित्त शालाजों में
आव्याहा गर तकनीकी शौकिक
शाला, रसायन-शास्त्र तथा गणित-

या

इंजीनियरी की संबंधित शाला में प्रथम श्रेणी की प्रतीपाधि तथा
६ वर्ष का अव्यापन/व्यावहारिक अनुभव, जिसमें से ४ वर्ष का
अनुभव अध्यापन के क्षेत्र में होना चाहिए। इंजीनियरी की
उपाधि प्राप्त उम्मीदवारों को अधिमान दिया जायगा।

(३५)

३१

(३६)

(३७)

(३८)

(३९)

(३०)

(३१)

(३२)

(३३)

(३४)

या

संबंधित विषय में प्रथम श्रेणी की डायागि तथा एक वर्ण का अनुभव.

स्नातक को उपचित्रिता वर्ण का अनुभव.

रोपणकीय विविध-विलय शालाओं तथा
कला निकेतन जवलपुर के सहायक
व्याख्याता/जूनियर व्याख्याता/
सीनियर अनुदेशक/तकनीकी
श्रव्यापक.

रोपणकीय विविध-विलय शालाओं तथा
कला निकेतन जवलपुर के सहायक
व्याख्याता/जूनियर व्याख्याता/
सीनियर अनुदेशक/तकनीकी
श्रव्यापक.

रोपणकीय विविध-विलय शालाओं में कर्मचाला
कर्मचाला कर्मचाला कर्मचाला कर्मचाला

श्रव्यापक.

या

संबंधित विषय में कम से ग्राहित विषय में कम इंजीनियरी की उपाधि या इसके
इसे के समकक्ष पत्रोपाधि तथा लाभग्रन्थ वर्षों का व्यावहारिक/
अध्यापन अनुभव.

विविध-विलय शालाओं में कर्मचाला
कर्मचाला कर्मचाला कर्मचाला कर्मचाला

श्रव्यापक.

या

संबंधित विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी की पत्रोपाधि तथा
इसे के समकक्ष पत्रोपाधि तथा लाभग्रन्थ वर्षों का व्यावहारिक/
अध्यापन अनुभव.

टीए.----ए. प्राइ. ही. (ए. प्राइ. ही. का सेक्रेटरी "ए" तथा
सेक्रेटरी "बी" उचिण) को अहेता, द्वितीय श्रेणी की उपाधि
के समरूप मानी जाएगी.

ग्राहित विविध-विलय शालाओं में वर्ष. ई. या इसके समरूप तथा लाभग्रन्थ
तोकी शाला द्वितीय श्रेणी.
ग्राहित विविध-विलय शालाओं में वर्ष. ई. या इसके समरूप तथा लाभग्रन्थ
एक वर्ष का व्यावसायिक-श्रव्यापन अनुभव.

(५५)

ग्राहित से ग्राहित ३५
वर्ष

ग्राहित इंजीनियरी में कम से कम द्वितीय श्रेणी वी. ही. तथा
वी. प्रास. सी. इंजीनियरी तथा १ वर्ष का व्यावहारिक अनुभव.

या

प्रथम या द्वितीय श्रेणी की पत्रोपाधि तथा ५ वर्ष का अनुभव,
जिसमें किसी विशेषता कर्मचाला ने ३ वर्ष का अनुभव होना।
ना. हिंगे.

टीए.----ए. प्राइ. ही. (ए. प्राइ. ही. का सेक्रेटरी "ए" तथा
सेक्रेटरी "बी" उचिण) को अहेता, द्वितीय श्रेणी की उपाधि
के समरूप मानी जाएगी.

ग्राहित विविध-विलय शालाओं में वर्ष. ई. या इसके समरूप तथा लाभग्रन्थ
एक वर्ष का व्यावसायिक-श्रव्यापन अनुभव.

(२५)

या

यांत्रिक/विद्युत इंजीनियरी में कम से कम द्वितीय श्रेणी की पत्रोपाधि
या इसके समतुल्य पत्रोपाधि तथा तकनीकी शिक्षा के प्रशासन/
कर्मचारी शाला में या अव्यापन में लगभग ५ वर्षों का अनुभव, जिसन
में ३-वर्षों का अनुभव अव्यापन के क्षेत्र में होना चाहिये।

टीए—ए. एम. आई. ई. (ए. एम. आई. ई. सेक्शन 'ए' तथा 'बी'
उर्द्दी) को अर्हता, द्वितीय श्रेणी की उपाधि के समकक्ष मानी
जायेगी।

यांत्रिक/विद्युत इंजीनियरी की संबंधित शाखा में उपाधि या इसके समतुल्य
या इंजीनियरी की संबंधित शाखा में पत्रोपाधि या इसके समतुल्य
तथा ३ वर्षों का व्यावहारिक/अन्यायात्रा अनुभव।

टीए—ए. एम. आई. ई. की अर्हता इंजीनियरी की उपाधि के समकक्ष
मानी जायेगी।

यांत्रिक इंजीनियरी में पत्रोपाधि या इसके समतुल्य तथा किसी
विद्यालय कर्मचारी शाला में लगभग ३ वर्ष का अनुभव,

व्याव्यापक (वर्कशोप) कोर्सेन, माध्य-
मिक तकनीकी शाला, द्वितीय श्रेणी
प्रथम श्रेणी के व्यक्तियों के लिए, १ वर्ष का और द्वितीय
के लिए २ वर्ष का अनुभव।

(१) (२) (३)

(४)

(५)

(६) (७)

(८) (९)

(१०) (११)

(१२) (१३)

(१४) (१५)

(१६) (१७)

(१८) (१९)

(२०) (२१)

(२२) (२३)

(२४) (२५)

(२६) (२७)

(२८) (२९)

(३०) (३१)

(३२) (३३)

(३४) (३५)

(३६) (३७)

(३८) (३९)

(४०) (४१)

(४२) (४३)

(४४) (४५)

(४६) (४७)

(४८) (४९)

(५०) (५१)

(५२) (५३)

(५४) (५५)

(५६) (५७)

(५८) (५९)

(६०) (६१)

(६२) (६३)

(६४) (६५)

(६६) (६७)

(६८) (६९)

(७०) (७१)

(७२) (७३)

(७४) (७५)

(७६) (७७)

(७८) (७९)

(८०) (८१)

(८२) (८३)

(८४) (८५)

(८६) (८७)

(८८) (८९)

(९०) (९१)

(९२) (९३)

(९४) (९५)

(९६) (९७)

(९८) (९९)

(१००) (१०१)

(१०२) (१०३)

(१०४) (१०५)

(१०६) (१०७)

(१०८) (१०९)

(११०) (१११)

(११२) (११३)

(११४) (११५)

(११६) (११७)

(११८) (११९)

(१२०) (१२१)

(१२२) (१२३)

(१२४) (१२५)

(१२६) (१२७)

(१२८) (१२९)

(१३०) (१३१)

(१३२) (१३३)

(१३४) (१३५)

(१३६) (१३७)

(१३८) (१३९)

(१४०) (१४१)

(१४२) (१४३)

(१४४) (१४५)

(१४६) (१४७)

(१४८) (१४९)

(१५०) (१५१)

(१५२) (१५३)

(१५४) (१५५)

(१५६) (१५७)

(१५८) (१५९)

(१६०) (१६१)

(१६२) (१६३)

(१६४) (१६५)

(१६६) (१६७)

(१६८) (१६९)

(१७०) (१७१)

(१७२) (१७३)

(१७४) (१७५)

(१७६) (१७७)

(१७८) (१७९)

(१८०) (१८१)

(१८२) (१८३)

(१८४) (१८५)

(१८६) (१८७)

(१८८) (१८९)

(१९०) (१९१)

(१९२) (१९३)

(१९४) (१९५)

(१९६) (१९७)

(१९८) (१९९)

(१२०) (१२१)

(१२२) (१२३)

(१२४) (१२५)

(१२६) (१२७)

(१२८) (१२९)

(१३०) (१३१)

(१३२) (१३३)

(१३४) (१३५)

(१३६) (१३७)

(१३८) (१३९)

(१४०) (१४१)

(१४२) (१४३)

(१४४) (१४५)

(१४६) (१४७)

(१४८) (१४९)

(१५०) (१५१)

(१५२) (१५३)

(१५४) (१५५)

(१५६) (१५७)

(१५८) (१५९)

(१६०) (१६१)

(१६२) (१६३)

(१६४) (१६५)

(१६६) (१६७)

(१६८) (१६९)

(१७०) (१७१)

(१७२) (१७३)

(१७४) (१७५)

(१७६) (१७७)

(१७८) (१७९)

(१८०) (१८१)

(१८२) (१८३)

(१८४) (१८५)

(१८६) (१८७)

(१८८) (१८९)

(१९०) (१९१)

(१९२) (१९३)

(१९४) (१९५)

(१९६) (१९७)

(१९८) (१९९)

(१२०) (१२१)

(१२२) (१२३)

(१२४) (१२५)

(१२६) (१२७)

(१२८) (१२९)

(१३०) (१३१)

(१३२) (१३३)

(१३४) (१३५)

(१३६) (१३७)

(१३८) (१३९)

(१४०) (१४१)

(१४२) (१४३)

(१४४) (१४५)

(१४६) (१४७)

(१४८) (१४९)

(१५०) (१५१)

(१५२) (१५३)

(१५४) (१५५)

(१५६) (१५७)

(१५८) (१५९)

(१६०) (१६१)

(१६२) (१६३)

(१६४) (१६५)

(१६६) (१६७)

(१६८) (१६९)

(१७०) (१७१)

(१७२) (१७३)

(१७४) (१७५)

(१७६) (१७७)

(१७८) (१७९)

(१८०) (१८१)

(१८२) (१८३)

(१८४) (१८५)

(१८६) (१८७)

(१८८) (१८९)

(१९०) (१९१)

(१९२) (१९३)

(१९४) (१९५)

(१९६) (१९७)

(१९८) (१९९)

(१२०) (१२१)

(१२२) (१२३)

(१२४) (१२५)

(१२६) (१२७)

(१२८) (१२९)

(१३०) (१३१)

(१३२) (१३३)

(१३४) (१३५)

(१३६) (१३७)

(१३८) (१३९)

(१४०) (१४१)

(१४२) (१४३)

(१४४) (१४५)

(१४६) (१४७)

(१४८) (१४९)

(१५०) (१५१)

(१५२) (१५३)

(१५४) (१५५)

(१५६) (१५७)

(१५८) (१५९)

(१६०) (१६१)

(१६२) (१६३)

(१६४) (१६५)

(१६६) (१६७)

(१६८) (१६९)

(१७०) (१७१)

(१७२) (१७३)

(१७४) (१७५)

(१७६) (१७७)

(१७८) (१७९)

(१८०) (१८१)

(१८२) (१८३)

(१८४) (१८५)

(१८६) (१८७)

(१८८) (१८९)</p

व्याख्याता (तकनीकी) —

वास्तु मान चित्कारिता के लिए ३१ अधिक से अधिक ३० वर्ष प्रथम या द्वितीय श्रेणी की बीं शाहौं या वास्तुकला म.एन.डी.तथा

प्रथम श्रेणी के व्यक्तियों के लिए १ वर्ष का और द्वितीय के लिए २ वर्ष का अनुभव.

विज्ञान प्रयोगशाला निवासिकों के लिए ३८ तदेव

कम के कम द्वितीय श्रेणी वर्गी वै प्रथम या द्वितीय श्रेणी
एक वर्ष का व्यातातापिक अनुभव, या पम वर्गी वै प्रथम या द्वितीय
स्थायन शास्त्र में एम.एस.सी.या इसके समतुल्य तथा इसी
प्रकार के पठ्यक्रमों में श्रावणपत्र का ३ वर्ष का अनुभव.

मुद्रण के लिये

३१ तदेव

लखित तथा व्या.कला के लिए ३१ तदेव

व्याख्याता गैर तकनीकी

सचिवालयीन कार्य पद्धति तथा शीघ्र- २१ तदेव
लेखन के लिए

वस्त्र सज्जा तथा देशभूषा निर्माण के लिए २१ तदेव

सहायक व्याख्याता/जनिवर व्याख्याता/सिनियर अनुदेशक
चिकित्सा प्रयोग शाला प्राविद्योगिकों के लिए २१ तदेव

वास्तु मान चित्कारिता के लिए २१ तदेव

कम के कम द्वितीय श्रेणी वै प्रथम या द्वितीय श्रेणी
एक वर्ष का व्यातातापिक अनुभव, या पम वर्गी वै प्रथम या द्वितीय
स्थायन शास्त्र में एम.एस.सी.या इसके समतुल्य तथा इसी
प्रकार के पठ्यक्रमों में श्रावणपत्र का ३ वर्ष का अनुभव.

इंटरविज्ञान/मुद्रण में प्रयोगात्मिक तथा मुद्रण उद्योग में पांच वर्ष

का व्यावहारिक अनुभव.

किसी मानवता प्राप्त संस्था से कला में प्रयोगात्मिक, अधिकारित: प्रथम श्रेणी
में या इसके समतुल्य तथा प्रयोगात्मिक तथा चार्टिंगिक या
व्यावहारिक कला में ३ वर्ष का अध्यापन या व्यावसायिक अनुभव.
वाणिज्य या व्यापार प्रबंध में द्वितीय श्रेणी की मास्टर उपायित तथा
वाणिज्य में प्रथम श्रेणी की उपायित और इसके साथ ही १ वर्ष
का अनुभव.

अधिकारित: —शीघ्रलेखन में प्रयोगात्मिक.

गृह विज्ञान में द्वितीय श्रेणी की स्नातक उपायित तथा वस्त्र (टेक्स्टाइल)
और वस्त्र निर्णय (क्रोमेटिंग) में विशिष्टता वांछीय वस्त्र (टेक्स्टाइल)
वस्त्र निर्माण (क्रोमेटिंग) में मास्टर उपायित या अध्यापन का अनुभव.

स्थायन शास्त्र में एम.एस.सी. तथा चिकित्सा प्रयोग शाला अध्यापक में
२ वर्ष का अनुभव.

बो.आर्क या वास्तु-कला (आकृतिकर) में एन.डी.या वास्तु कला में
प्रयोगात्मिक या इसके समतुल्य तथा ३ वर्ष का अध्यापन/व्यावहारिक
अनुभव.

(१)

(२) (३) (४)

सर्वचालयन कार्य पद्धति और शीघ्रतेवत
के लिए

(५)

(६)

(७) (८)

२१ अधिक से अधिक ३० वर्ष
वाणिज्यमें कम से कम द्वितीय श्रेणी को मास्टर-डिपाल्ट या वाणिज्य में प्रश्न
श्रेणी की उपाधि तथा हिन्दी अंग्रेजी ग्रन्तीखन म प्रोफेशनि

श्रेणी में वी. काम. तथा हिन्दी 'प्रेजी शीघ्रतेखन में
प्रोफेशनि और दो वर्ष का अनुभव

या

द्वितीय श्रेणी में इटर वाणिज्य और किसी महत्वपूर्ण स्थिति से विभाग
या व्यापार संगठन में इसके समतुल्य व्यक्ति के शीघ्रतेखक के रूप
में ७ वर्ष का अनुभव.

या

द्वितीय श्रेणी में इटर वाणिज्य और किसी महत्वपूर्ण स्थिति से विभाग
या व्यापार संगठन में इसके समतुल्य व्यक्ति के शीघ्रतेखक के रूप
में ७ वर्ष का अनुभव.
कम से कम द्वितीय श्रेणी की स्थातक उपाधि और वस्त्र निर्माण
व्यवसाय में वित्तीकरण और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से वस्त्र-
निर्माण व्यवसाय में इन्हें प्रमाण पत्र.

या

मैट्रिक और टलार मास्टर प्रोफेशनि या इसके समतुल्य अर्हता किसी
विभाग वस्त्र निर्माण संस्थान में कम से कम ६; वर्ष का व्यावसायिक
अनुभव. उम्मीदवारों को अंग्रेजी में अनुदेश देने से समर्थ होना
चाहिए. ऐसे उम्मीदवार को अधिकार दिया जायगा, जिसे
इन वर्ष अर्हताओं के अतिक्रम कराई और लिलाई में भी
महत्व प्राप्त हो.

२२ तईव
इटर विज्ञान मुद्रण में प्रोफेशनि तथा मुद्रण उद्योग में ३ वर्ष का अनुभव.
किसी मान्यता प्राप्त संस्था में कला की उपयुक्त शाखा में कम से कम

द्वितीय श्रेणी की प्रोफेशनि तथा २ वर्ष का अनुभास/
व्यावसायिक अनुभव.

मुद्रण शैक्षणिकी के लिए
तकनीत तथा व्या. कला के लिए

२३ तईव
इटर विज्ञान मुद्रण में प्रोफेशनि तथा मुद्रण उद्योग में ३ वर्ष का अनुभव.
किसी मान्यता प्राप्त संस्था में कला की उपयुक्त शाखा में कम से कम

四

m

3

**विविध शासार्थों का व्याख्याता, तकनीकी ३५०—८५०,
व्याख्याता, तकनीकी इंजीनियरी महाविद्यालय तथा
विविध विद्युत शासार्थ २५०—६०० (प्रत्यना)**

विभागाध्यक्ष, विविच विविच शास्त्राये १००—१००
विभागाध्यक्ष, विविच विविच शास्त्राये १००—१००

ध्यावहत। गेर तकनीकी, इंजीनियरी महाविद्यालय ३५०—
६५०. प्राच्यापक, उपाधि महाविद्यालय, ५५०—५५०
प्रदाचन, गर तकनीकी इंजीनियरी महा-
विद्यालय ६००—६००

त्रिपाठ्यारा, गर तकनीकी विषय शिल्प शास्त्रमें, २७५—५७५,
सहायक प्राच्यपक्ष, ३६०—१००. चायाच्यारा, गैर तकनीकी, इंजीनियरी
महाविद्यालय ३५०—५८०.

व्यापार याता, गेर तकनीकी मार्गिका तकनीकी शासाये व्यापार याता, गेर तकनीकी चिह्नायादे २७५—५७५ २८५—२८५

सहायक कर्मशाला शधीकाक, इंजीनियरी महाविद्यालय कर्मशाला अधिकारी, इंजीनियरी महाविद्यालय, ३५०—३५०/-, कर्मशाला शधीकाक, विविध शिल्प ३५०—३५०/-, कर्मशाला शधीकाक, विविध शिल्प ३५०—३५०/-, लाभार्टरी ३५०—३५०/-, विद्यालय, ६००—६५०.

सहायक कर्मशाला अधीक्षक, विविध शिल्प शास्त्रादे, २६०—
५०० / अधीक्षक, मार्ग्यमिक, तकनीकी शास्त्रादे (पात्रिक
शास्त्रा) ३६०—५००। कर्मशाला अधीक्षक, विविध शिल्प
शालाये ३५०—८५० तथा सहा-
यक कर्मशाला अधीक्षक, इच्छनि-
यरो महाविद्यालय ३५०—८५०,
कर्मशाला कोरमन, कला निकेतन,
जबलपुर (३५०—८५०)

(१०)

十一

जबलपुर (३५०—४५०)

प्रधानक लभिताता अधीक्षक, वावध शिल्प शालाय, २६०—
१००, अधीक्षक, —यमिक, तकनीकी शालाय (यांत्रिक
शालाय ३५०—८५ प्रथा सह-
एक कर्मशाला अधीक्षक,
कर्मशाला अधीक्षक, विविध शिल्प
इच्छिनि-

୪୮

मिक्रोफोन वाला अवधारणा की दृष्टि से यह एक अच्छी विशेषज्ञता है। इसमें दो दृष्टिकोण हैं। एक निर्माणी के लिए विशेष तथा विशेष शब्द। दूसरा निर्माणी के लिए विशेष तथा विशेष शब्द। यह दोनों विशेष शब्दों के बीच विशेष विविधता का विवरण है। यह दोनों विशेष शब्दों के बीच विविधता का विवरण है। यह दोनों विशेष शब्दों के बीच विविधता का विवरण है।

कम्पनीसहित करार है। मालामाल कम्पनी जल्दी ५००—५०० में यथाप्रक्रिया से विचार करना चाहिए। तब तक तो कापड़ी बदलना चाहिए। अतः इसका नियम यह है कि तकनीकी विधियाँ उपरान्त विकास के साथ-साथ बदलनी चाहिए।

जबलपुर (३५०—४५०)

卷二

मिनीक तकनीकी बाला, ₹६०—७००.
जननियर अमुदेशक, विविध गिर्द शाला तथा कला निकेतन,
जबलपुर, ₹६०—३००, मास्टर, अनुदेशक, माध्यमिक
तकनीकी शाला ₹६०—३००, तथा मानविकारा
₹७०—१५५+२५ रु. विषेष वेतन प्रति-माह.

सहायक कर्मशाला श्रीधीराकृति, विविध
शिल्प शालाये, २६०—५००/-
सहायक व्याख्याता / जननियर व्या-
ख्याता, / सीनियर अनुदेशक, विविध
शिल्प शाला, २६०—५०० कर्म-
शाला कोर्सेन तथा व्याख्याता, ३००
मार्ग्यमिक कर्मशाला शालाये, ३००
—५५०, तथा व्याख्याता, द्वीप
पठनक्रम मार्ग्यमिक तकनीकी

सहायक व्याख्याता/सीनियर अनुदेशक/
दफ्तरीकी विद्याक, कला निकेतन,
लखनऊ, (२६०—५००)

कला निकेतन, जबलपुर

<p>व्याख्याता, तकनीकी विविध शिल्प शाला ३५०—८५० रुपया कला निकेतन जबलपुर ६००—१०००.</p> <p>व्याख्याता, तकनीकी विविध शिल्प शाला ३५०—८५० रुपया कला निकेतन जबलपुर ६००—१०००.</p>	<p>विभागाध्यक्ष, मुद्रण ६००—१०००.</p> <p>व्याख्याता, मुद्रण ६००—१०००.</p>
<p>सहायक व्याख्याता, तकनीकी विविध शिल्प शाला ३५०—८५० रुपया कला निकेतन जबलपुर ६००—१०००.</p> <p>सहायक व्याख्याता, तकनीकी विविध शिल्प शाला ३५०—८५० रुपया कला निकेतन जबलपुर ६००—१०००.</p>	<p>व्याख्याता, मुद्रण ६००—१०००.</p> <p>व्याख्याता, मुद्रण ६००—१०००.</p>

(४१)

३५

१०

५३

१०

विभागालयका, एडा ३००—३०००.

व्याख्याता, महण और लिखत हथा

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution of India the Governor of Madhya Pradesh is pleased to make the following rules relating to the recruitment to the Madhya Pradesh Educational Service Rules Technical Branch namely.

2. Short title and commencement.—These rules may be called the Madhya Pradesh Educational Service (Technical Branch) Recruitment Rules.

१७-

These rules shall come into force with effect from the date of notification in "Madhya Pradesh Gazette".

3. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

- (a) "Appointing Authority" in respect of the service means the State Government.
- (b) "Commission" means the Madhya Pradesh Public Service Commission.
- (c) "Government" means the Government of Madhya Pradesh.
- (d) "Governor" means the Governor of Madhya Pradesh.
- (e) "Schedule" means a Schedule appended to these rules.
- (f) "Scheduled Castes and Scheduled Tribes" shall have the same meaning as are assigned to them by clauses (24) and (25) respectively of article 366 of the constitution and mean such Caste and Tribes as are notified as such by the State Government from time to time.
- (g) "Service" means the Madhya Pradesh Educational Service Technical Branch.
- (h) "State" means the State of Madhya Pradesh.

4. Scope and application.—Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules 1961, these rules shall apply to every member of the service.

5. Constitution of the Service.—The service shall consist of the following persons namely:—

- (1) Persons who at the commencement of these rules are holding substantively the posts specified in the Schedule 1.
- (2) Persons recruited to the service before the commencement of these rules; and
- (3) Persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

6. Classification, Scale of Pay, etc.—The classification of the Service, the scale of pay attached thereto and the number of posts included in the Service shall be in accordance with the provisions contained in the Schedule I annexed :

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts included in the Service either in a permanent or temporary basis.

7. Method of recruitment.—(1) Recruitment to the Service, after commencement of these rules, shall be by the following methods, viz.—

(a) by direct recruitment by selection;

✓ (b) by promotion of members of the Madhya Pradesh Educational Service from lower post cadre to higher post cadre.

(c) by transfer of persons who hold in a substantive capacity such posts in such services as may be specified in this behalf.

(2) The number of persons recruited under clause (b) or clause (c) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage shown in the Schedule II to the number of duty posts.

☞ (3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment, and the number of persons to be recruited by each method, shall be in accordance with the Schedule No. II. But cases may arise where it may not be possible to strict to the fixed percentage rigidly e. g. if there are only 3 posts, 50 per cent of them are to be filled in by direct recruitment and the other 50 per cent by promotion, the division of the posts maybe 1 : 2 for direct recruitment and 1 : 1 for promotion respectively, thus preference should be given to the departmental candidates for promotions subject to the condition that suitable and qualified candidates are available in the department otherwise the posts reserved for promotion would also be filled in by direct recruitment.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Government the exigencies of the Service so require, the Government may, after consulting the Commission, adopt such methods of recruitment to the Service other than those specified in the said sub-rule as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

8. Appointment to the Service.—(1) All appointments to the Service after the commencement of these Rules shall be made by the Government and such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in Rule 7.

(2) In accordance with the national policy of the Government of India, persons recruited in accordance with these rules to permanent or temporary posts of Lecturers Technical (Class I.), in the branches of Civil, Mechanical, Electrical, Mining, Tele-Communication or Electronics would be liable to serve for a minimum period of 4 years, including the period of training, in the Defence Services or on works relating to Defence efforts anywhere in India or abroad, if so required. The liability in this behalf will be limited to first 10 years of service and up to the age of 50 years.

tion of the service
ided in the serv
Schedule I here
ld to or reduce
or temporary ba
Service, after
s, viz.—

9. **Conditions of eligibility of direct recruits.**—In order to be eligible to be selected a candidate must satisfy the following conditions, viz.—

(i) **Age.** (a) He must have attained the age of (as in column 3 Schedule III) and not attained the age of (as in column 4 Schedule III), on the first day of January next following the date of commencement of the selection.

(b) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 5 years if a candidate belongs to scheduled caste or a scheduled tribes.

(c) The upper age limit will also be relaxable in respect of candidates who are or have been employees of the Madhya Pradesh Government to the extent and subject to the conditions specified below:—

(i) Permanent teachers of Education Department would be allowed to deduct from their age the total period spent in teaching in Government institution subject to the proviso that the resultant age does not exceed the upper age limit prescribed for the post.

(ii) A candidate who is a temporary Government Servant should not be more than 35 years of age, in respect of post for which the upper age limit is 30 years.

(iii) A candidate who is retrenched Government servant will be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him up to a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation.—The term "retrenched Government" Servant denotes a person who was in temporary Government service of this State or of any of the constituent units, for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service.

(iv) A candidate who is an ex-serviceman will be allowed to deduct from his age the period of all defence service previously rendered by him provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

(v) The upper age limit will also be relaxable to 35 years in the case of bona fide displaced Gold Smiths, i.e. those who are in possession of identification certificate in accordance with the Labour Department memo No. 3345-4005/XVI, dated 6th May 1963. This is applicable in respect of posts the maximum age limit for which is 30 years.

Explanation.—The term "ex-serviceman" denotes a person who belonged to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the Economy Unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service:—

- (1) Ex-Servicemen released under mustering out concessions,

- (2) Ex-Servicemen enrolled for the second time and discharged on (a) completion of short term engagement, (b) fulfilling the conditions of enrolment,
- (3) Ex-personnel of Madras Civil Unit,
- (4) Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including short services Regular Commissioned Officers),
- (5) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies,
- (6) Ex-servicemen invalided out of service.
- (7) Ex-Servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers,
- (8) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gun-short, wounds, etc.

N.B. Candidates who are admitted to the selection under the age concessions mentioned in paragraph 9 (i) (c) (i) and(ii) above will not be eligible for appointment if after submitting the application they resign from service either before or after taking the selection. That will, however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the applications. In no other case will these age limits be relaxed.

Departmental candidates must obtain previous permission of the appointing authority to appear for the selection.

(ii) **Educational qualifications.**—He must possess the educational and experience qualifications prescribed for the service as shown in Schedule III. Provided that—

(a) In exceptional cases the Commission may, on the recommendation of the Government, treat as qualified a candidate, who though not possessing any of the qualifications prescribed in this clause, has passed examination conducted by other institutions by a standard which, in opinion of the Commission, justifies the consideration of the candidate for selection.

(b) Candidates who are otherwise qualified but have taken degree from foreign Universities, being Universities not specifically recognised by Government may also be considered for selection at the discretion of the Commission.

(iii) **Fees.**—He must pay the fees prescribed by the commission.

10. **Disqualification.**—Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Commission to disqualify him for selection.

11. **Commission's decision about the eligibility final.**—The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate shall be final.

12. Direct recruitment by selection.—(1) A selection for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Government may in consultation with the Commission, from time to time determine.

(2) The selection of candidates for the service shall be made by the Commission after interviewing them.

(3) 15 percent and 18 percent of the available vacancies for direct recruitment plus the carried forward vacancies from the last occasion, if any, shall be reserved for candidates who are members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes respectively.

(4) In filling the vacancies so reserved candidates who are members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 13 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(5) Candidates belonging to the Scheduled Castes or the Schedule Tribes, declared by the Commission to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes as the case may be under sub-rule (3).

(6) If a sufficient number of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes are not available for filling all the vacancies reserved for them the remaining vacancies shall be filled from among other candidates and an equivalent number of additional vacancies shall be reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes for the next selection in the manner indicated in Rule 12 (3) above:

Provided that if a sufficient number of suitable candidates is not available in the next selection to fill all the reserved vacancies, including the additional vacancies or such of them as are not filled, shall lapse.

13. List of candidates recommended by the Commission.—The Commission shall forward to the appointing authority the names and other details of candidates whom they consider most suitable duly arranged in order of preference and of candidates belonging to scheduled Castes and Scheduled Tribes who, though not qualify by that standard, are declared by Commission to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration.

14. Appointments by promotion.—(1) there shall be constituted a committee consisting of the members mentioned in Schedule IV for making a preliminary selection for promotion of eligible candidates.

2. The Committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding one year.

15. Conditions of eligibility for promotion/transfer.—The Committee shall consider the cases of all persons who on the 1st day of July of that year, had completed atleast 3 years of service (whether officiating or substantive)on the lower post for promotion to higher post as mentioned in column 2 of Schedule IV or any other post or posts declared equivalent there to by the Government, subject to their fulfilling the minimum experience qualification for the promotion post wherever prescribed for direct recruitment to the promotion post. However, the Government may, at any time, modify this rule either wholly or partially in respect of any cadre for which such modification may, in their opinion, appear justified, by issuing a separate notification in this behalf.

16. Preparation of List of suitable Officers. (1) The Committee shall prepare a list of such persons as satisfy the condition prescribed in Rule 15 above and as are held by the Committee to be suitable for promotion/transfer to the service. This list shall be sufficient to cover probable vacancies for two years.

(2) The selection for inclusion in such list shall be based on merit and suitability in all respects, with due regard to seniority.

(3) The names of the officers included in the list shall be arranged in order of seniority in the cadre concerned:

Provided that any junior who, in the opinion of the committee, is of an exceptional merit and suitability may be assigned in the list a higher place than that of officer's senior to him.

(4) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(5) If in the process of selection, review or revision it is proposed to supersede any member of the Madhya Pradesh Educational Service (Technical Branch) the Committee shall record its reasons for the proposed supersession.

17. Consultation with the Commission.—The list prepared in accordance with rule 16 shall then be forwarded to the Commission by the Government along with,

(i) The records of all persons included in the list.

(ii) The records of all members of the Madhya Pradesh Educational Service (Technical Branch) who are proposed to be superseded by the recommendations made in the list.

(iii) The reasons as recorded by the Committee for the proposed supersession of any member of the Madhya Pradesh Educational Service (Technical Branch) and

(iv) The observations of the Government on the recommendations of the Committee.

18. Select List.—(1) The Commission shall consider the list prepared by the Committee alongwith the documents received from the Government and unless it considers any change necessary approve the list.

(2) If the Commission considers it necessary to make any changes in the list received from the Government the Commission shall inform the Government of the changes proposed and after taking into account the comments, if any, of the Government may approve the list finally with such modification, if any, as may in its opinion be just and proper.

(3) The list as finally approved by the Commission shall form the Select List for promotion of the members of the Madhya Pradesh Educational Service (Technical Branch).

(4) The Select list shall ordinarily be in force until it is reviewed or revised in accordance with sub-rule (4) of rule 16:

(86)

Committee shall be provided that in the event of a grave lapse in the conduct of performance of
in Rule 15 on the part of any person included in the Select list, a special review of the
on/transfer to list may be made at the instance of the Government and the Commission,
or two years. if it thinks fit, remove the name of such person from the select list.

erit and suitable 9. Appointment to the Service from the Select List.—(1) Appointment
Officers included in the select list to posts borne on the cadre of the Service
follow the order in which the names of such officers appear in the select list :

nged in order provided that, where administrative exigencies so require, a person whose
is not included in the Select List or who is not next in order in the Select List,
e, is of an experience likely to last for more than three months.
place than that

ear. 10. It shall not ordinarily be necessary to consult the Commission before
ment of a person whose name is included in the Select List to the Service
during the period intervening between the inclusion of his name in the Select
and the date of the proposed appointment there occurs any deterioration in
work which, in the opinion of the Government is such as to render him un-
able for appointment to the service.

d in accordance 11. Probation.—Every person directly recruited to the service shall be
ernment along entered on probation for a period of one year.

ational Service 12. Interpretation.—If any question arises relating to the interpretation
commendations of these rules it shall be referred to Government whose decision thereon shall be final.

ed supersession 13. Relaxation.—Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge
Technical Branch) the power of the Government to deal with the case of any person to whom these
apply in such manner as may appear to them to be just and equitable;

provided that the case shall not be dealt with in any manner less favourable
than that provided in these rules.

14. Repeal and Saving.—All rules corresponding to these rules and in
immediately before their commencement are hereby repealed in respect of
idations of the cases covered by these rules;

st prepared by 15. Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall
den and unless deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these

ings in the list
Government or
s, if any, of the
any, as may in

the Select List
service (Technical)

ed or revised in

SCHEDULE No. 1.

MADHYA PRADESH EDUCATIONAL SERVICE ADMINISTRATIVE TECHNICAL AND NON TECHNICAL

S. No.	Name of posts included in the Service	No. of posts	Classification	Scale of pay	Remarks
BRANCH ENGINEERING COLLEGES (TECHNICAL CADRE)					
1	Principal, Govt. Engg. Colleges in Madhya Pradesh	5	Class I	1500—1800	(Y.O.)
2	Professors (Technical)	23	Class I	1000—1200	
3	Readers (Technical)	65	Class I	600—1150	
4	(1) Civil (2) Mechanical (3) Electrical (4) Appl. Mechanics (5) Tele-Communication (6) Chemical (7) Light Metal and Alloys Technology (8) Mining (9) Metallurgy	20 11 11 11 11 11 11 11 11			

3 Readers (Technical)

- (1) Civil
- (2) Mechanical
- (3) Electrical
- (4) Appl. Mechanics
- (5) Tele-Communication

Class I - - - 600—1150

- (6) Chemical/Engg. Chemistry
- (7) Light Metal and Alloys Technology
- (8) Mining
- (9) Metallurgy

Class I - - - 65

Class II - - - 300—1000

Class III - - - 800—1523

Class IV - - - 800—1150

(x2)

III GOVERNMENT TECHNICIANIC COURSES

Class I - - - 312—112

Class II - - - 312—122

Class III - - - 312—222

Class IV - - - 600—1150

Class V - - - 350—850

Class VI - - - 350—850

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

</div

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8 Readers (Non-Technical)		20	Class I		
(1) Physics		6			
(2) Chemistry		5			
(3) Mathematics		6			
(4) Geology		3			
		20			
9 Lecturers (Non-Technical)		63	Class II		
(1) Physics		23			
(2) Chemistry		18			
(3) Mathematics		20			
(4) Geology/Appl. Geology		2			
		63			
10 Lecturer in English		8	Class II		
11 Registrar		2	Class II		
12 Principal		2	Class II		
13 Head of Department		**	Class I		
		**	Class I		
(1) Civil		**	800—125)		
(2) Mechanical		**	600—1000		
(3) Electrical		**	9		
		**	11		
		**	11		

III. GOVERNMENT POLYTECHNIC (TECHNICAL CADRE)

12 Principal	Class I	800—1250
13 Assistant Principal	Class II	600—1000
(1) Civil		
(2) Mechanical		
(3) Electrical		
(4) Structural		
(5) Metallurgy		
(6) Textile		
(7) Leather Technology		
(8) Auto-mobile		
(9) Mining		
(10) Pharmacy		
(11) Architectural		
(12) Medical Lab. Technology		
	41	41		
			41	

IV. GOVT. WOMEN POLYTECHNIC (NON-TECHNICAL CADRE)

14 Principal, Women Polytechnic	..	1	Class I	700—1100
15 Head of Department	..	2	Class II	360—700
(1) Secretarial Practice and Stenography	..	1		
(2) Costume Design & Dress Making	..	1		
	2	2		
16 Lecturers Technical Polytechnics including Women Polytechnic	..	123	Class I	350—850
(1) Civil		
(2) Mechanical		
(3) Electrical		
(4) Structural		
(5) Metallurgy		
(6) Textile		
(7) Leather Technology		
(8) Auto-mobile		
(9) Mining		
(10) Engineering Chemistry		
(11) Industrial Chemistry		

(2) Mechanical
(3) Electrical
(4) Structural
(5) Auto-mobile
(6) Metallurgy
(7) Pharmacy
(8) Technical

(1) Engineering
(2) Surgical Practice & Stereography
(3) Costume Design and Dress Making

(A) Enclosed Superintendent

(1) Medical Gymnastics Room

(2) Respiratory

(3) Electricist

(5) Mechanic

(2) Workshop Superintendent

(1) Mechanical

(3) Assistant Superintendent

V. GOVERNMENT SECONDARY TECHNICAL SCHOOLS (TECHNICAL CADRE)

21 Superintendent

22 Lecturer (Technical Dept.)

(1) Building & Technical

(2) Mechanical Engineering

(3) Electrical

(5) Mechanic

23 Lecturer for Technical for stream courses

(1) Drawing (Isometric)

(2) Mechanical

Sec (3) Secretarial or Drafting Technic (1)

(4) Drawing

52 Laundry

24 Workshop Foreman

(1) Drawing

(2) Drawing

(3) Drawing

(4) Drawing

(5) Drawing

144.10

Class I

3 12 Class I

(५०)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
VI. KALANIKETAN JABALPUR (TECHNICAL CADRE)					
25 Principal	-	-	-	1 Class I	600—1000
26 Head of Dep't. in Printing Technic	-	-	-	2 Class I	600—1000
27 Lecturers (Technical)	-	-	-	10 Class I	350—850
(1) Civil	-	-	-	1	
(2) Mechanical	-	-	-	1	
(3) Electrical	-	-	-	1	
(4) Mech. Draughtsmanship	-	-	-	1	
(5) Printing Technology	-	-	-	4	
(6) Fine/Applied Arts	-	-	-	2	
				10	
16 Class II					
28 Asstt. Lecturers/Senior Instructors/Technical Teachers	-	-	-	3	260—500
(1) Civil	-	-	-	3	
(2) Mechanical	-	-	-	3	
(3) Electrical	-	-	-	3	
(4) Automobile	-	-	-	1	
(5) Tele-Communication	-	-	-	1	
(6) Printing	-	-	-	1	
(7) Fine/Applied Arts	-	-	-	2	
				3	
				16	
1 Class I					
29 Workshop Foreman	-	-	-	1	350—850

(3) Mechical
(4) Automobile
(5) Tele-Communication
(6) Printing
(7) Fine/Applied Arts

16

16

29 Workshop Foreman

1 Class I — 350—850

VII ADMINISTRATIVE POSTS UNDER THE DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION AND M.P. BOARD
OF TECHNICAL EDUCATION

30 Director of Technical Education — — — — —

31 Dy. Director of Technical Education /Dy. Secretary,
M. P. Board of Technical Education.

1 Class I — 16

1 Class I — 16

5 Class I — 600—1000/600—1150/if persons
are drawn from the cadre of
Head of Deptt. from Polytechnic
or Reader from Engg. College
Otherwise
550—950 if persons from Non-
Tech. Teaching/Administration
side are drawn.

6 Class II — 275—700.

32 Asstt. Director of Technical Education/Asstt. Secretary
M. P. Board of Technical Education.

(56)

SCHEDULE II

Appl. Mechanics -
Tele-Communication

Metalurgy	1	
Readers (Tech.) Engineering Colleges	23	1
Civil	20	25 per cent
Mechanical	11	15
Electrical	11	8
		75 per cent

Appl. Mechanics	—	5	—	4
Tele-Communication	—	5	—	4
Chemical Engg.	—	5	—	4
Chemistry	—	—	—	—
Light Metal & Alloys	—	2	—	—
Technology	—	—	1	1
Mining	—	—	1	3
Metallurgy	—	—	1	2
		<u>66</u>		

*Workshop Superintendent
Engineering Colleges.*

Mechanical	—	5	—	—	5	—	100 per cent
Lecturers (Tech.) Engineering Colleges.			116		80 per cent	20 per cent	
Civil	—	27	—	—	22	5	
Mechanical	—	37	—	—	30	7	
Electrical	—	23	—	—	18	5	
Appl. Mechanics	—	6	—	5	5	1	
Tele- Communication	—	6	—	5	6	1	
Chemical/Engg. Chemistry	—	8	—	6	6	2	
Light metal & Alloys	—	1	—	1	1	—	
Technology	—	—	—	3	1	1	
Mining	—	4	—	3	3	3	
Metallurgy	—	4	—	1	1	1	
		<u>116</u>					

Asstt. Workshop Superintendents	—	9	—	50 per cent	50 per cent
Mechanical	—	—	9	4	5

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(2) NON-TECHNICAL CADRE (TEACHING BRANCH) ENGINEERING COLLEGES

Class I

Professors of Engineering Colleges —

Physics	—	—	—	—	4	1	2	1
Chemistry	—	—	—	—	4	1	2	1
Mathematics	—	—	—	—	4	1	2	1
Geology —	—	—	—	—	1	—	1	—
					<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
					13			

25 per cent
per cent

50 per cent
per cent

Do.

Readers of Engineering Colleges —

Physics	—	—	—	—	6	2	3	1
Chemistry	—	—	—	—	5	1	3	1
Mathematics	—	—	—	—	6	2	3	1
Geology —	—	—	—	—	3	1	1	1
					<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
					20			

25 per cent
per cent

50 per cent
per cent

Lecturers, Engineering Colleges —

Physics	—	—	—	—	23	6	6	11
Chemistry	—	—	—	—	18	4	5	9
Mathematics	—	—	—	—	20	5	5	10
Geology/Appl. Geology	—	—	—	—	2	—	—	1

25 per cent
per cent

50 per cent
per cent

Physics 23 6 6 11
Chemistry 18 4 5 9
Mathematics 20 5 5 10
Geology/Appl. Geology .. 2 — 1 —

Physics	23	6	11
Chemistry	18	5	9
Mathematics	20	5	10
Geology/Appl. Geology	2	1	1
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
Lecturer, English	8	100 per cent	-
Registrar (Administration)	2	-	100 per cent

(3) TECHNICAL CADRE (TEACHING BRANCH) POLYTECHNICS

CLASS I

<i>Principals of Polytechnics Administrative and Teaching</i>	12	-	100 per cent
<i>Head of Department Polytechnics</i>	41	25 per cent	75 per cent
Civil
Mechanical	7
Electrical	8
Appl. Mechanics	8
Structural	1
Metallurgy	1
Textile	1
Aeronautical	1
Mining	1
Pharmacy	1
Architectural	1
Medical Lab.	1
Technology	1
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	41		

(1) (2)

(3) *Workshop Superintendent Polytechnics*

12 per cent

Mechanical 11

Leather Technology 1

(4) *Lecturers (Tech.) Polytechnics including Women Polytechnic.*

123 per cent

Civil 39

Mechanical 32

Electrical 28

Structural 1

Metallurgy 6

Textile 1

Leather Technology 2

Automobile 1

Mining 4

Engineering Chemistry 7

Industrial Chemistry 1

Appl. Geology 2

Architectural 1

Medical Lab., Technology 1

123

(22)

114 80 per cent 20 Per cent

CLASS II

Asstt. Lecturers/Jr. Lecturers/Sr. Inspectors of polytechnic including Women polytechnic, Bhopal.

Civil	49	40	40	9
Mechanical	—	—	—	—
Electrical	—	—	37	32
Structural	—	—	—	30
				1

Civil	—	—	49	—	—	—	—
Mechanical	—	—	40	—	—	—	—
Electrical	—	—	37	—	—	—	—
Structural	—	—	1	—	—	—	—
Automobile	—	—	1	—	—	—	—
Metallurgy	—	—	1	—	—	—	—
Pharmacy	—	—	1	—	—	—	—
Leather Technology	—	—	2	—	—	—	—
Mining	—	—	2	—	—	—	—
Medical Lab. Technology	—	—	4	—	—	—	—
Architectural	—	—	2	—	—	—	—
Secretarial Practice &	—	—	1	—	—	—	—
Stenography	—	—	2	—	—	—	—
Costume Design & Dress making	—	—	2	—	—	—	—
			<hr/> 114				

(4) GOVERNMENT WOMEN POLYTECHNIC (NON-TECHNICAL) CADRE.

CLASS I	CLASS II
Asstt. Workshop Superintendent Polytechnic.	9
Mechanical	—
—	9
Principal, women polytechnic	1
—	—
—	100 per cent. —

(5) NON-TECHNICAL CADRE (TEACHING BRANCH) POLYTECHNICS INCLUDING WOMEN POLYTECHNIC

CLASS I	CLASS II
Head of Department Women Polytechnic.	2
Secretarial Practice & Stenography.	1
—	—
—	100 per cent. —

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Costume Design & Dress making.	1	1	1	—
		<i>Lecturers (Non-Technical)</i>	63		75 Percent	25 Percent
		Physics	13	10	3	
		Chemistry	13	10	3	
		Mathematics	16	12	4	
		English/Humanities/Labour Relation and Accountancy.	15	12	3	
		Secretarial Practice & Stenography.	1	1	—	
		Costume Design & Dress making.	1	1	1	
		Pharmacy	4	3	—	
				63		

(6) TECHNICAL CADRE (TEACHING BRANCH) SECONDARY TECHNICAL SCHOOLS

CLASS II		
<i>Superintendent (Administrative and Teaching)</i>	..	15
<i>Workshop Foreman</i>	15	25 percent
<i>Mechanical</i>	4	75 Percent
<i>Lecturers (Tech.)</i>	30	80 percent
<i>Mechanical</i>	15	20 Percent
<i>Electrical</i>	15	11 Percent
	30	4

<i>Lecturers (Tech.) Steam Courses</i>	—	—	—	—	—	—
Civil	—	—	—	—	—	—
3	3	3	3	3	3	3
6	6	6	6	6	6	6
11	80 percent	4	20 percent	1	20 percent	1

<i>Lecturers (Tech.) Steam Courses</i>	11	80 percent	20 percent
Civil	4	3	1
Mechanical	3	2	1
Electrical	4	3	1
	<u>11</u>		

(7) TECHNICAL CADRE (TEACHING BRANCH) KALANIKETAN, JABALPUR

CLASS I

<i>Principal Administrative & Teaching</i>	1	100 percent	
<i>Head of Department Printing</i>	2	50 percent	
<i>Lecturers (Tech.) Kalaniketan, Jabalpur</i>	10	80 percent	
Civil	1	1	
Mechanical	1	1	
Electrical	1	1	
Mech. Draughtsmanship	1	1	
Printing Technology	4	3	
Fine Arts/Appl. Arts.	2	1	
	<u>10</u>		

CLASS II

<i>Asstt. Lecturers/Senior Instructors/</i>	16	80 percent	
<i>Technical Teachers</i>			
Civil	3		
Mechanical	2		

20 percent

1

2

3

1

2

3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Electrical	3	2	1
Automobile	1	1	..
Tele-Communication	1	1	..
Printing	2	2	1
Fine/Applied Arts	3	2	1
				16	

✓ Workshop Foreman, Kalanketan,
Jabalpur
Class 1 1 100%

(8) TECHNICAL CADRE (ADMINISTRATIVE BRANCH) DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION / M. P. BOARD OF TECHNICAL EDUCATION

Class

Director of technical Education	1	..	100% by transfer from the cadre of Principals, Government Engineering Colleges.
Dy. Directors/Dy. Secretary	5	..	50% By promotion from the Lecturer Tech. The Govt. However reserve the right to draft persons from another administrative cadre which in their opinion is appropriate in view of duties/responsibilities attached to each post in the scale of 550-950.

Class 11

Assistant Directors

100% from Lecturers
50% from Lecturers
(Non Tech.) of poly-
technic if interested
in administrative
works. 50% from
amongst suitable
Superintendents of
Directorate of Tech-
nical Education (for
which policy is already
approved by the
Govt.) on merit-*cum-*
seniority basis.

Class 11

4

100% from Lecturers
50% from Lecturers
(Non Tech.) of poly-
technic if interested
in administrative
works. 50% from
amongst suitable
Superintendents of
Directorate of Tech-
nical Education (for
which policy is already
approved by the
Govt.) on merit-*cum-*
seniority basis.

**Assistant Secretary, M.P. Board of
Technical Education**

2

100%
50% from Lecturers
(Non-Technical) of
polytechnics / Secon-
dary Technical
Schools if interested
in administrative
works. 50% from
amongst the suitable
Superintendents of
M.P. Board of Techni-
cal Education and if
suitable candidates
are not available
in M. P. Board of
Technical Education
then from Director-
ate of Technical
Education on merit-
cum-seniority basis

(16)

SCHEDULE III

Name of Dep'tt.	Name of Service	Minimum age limit	Upper age limit	Educational qualification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Education	— Technical Cadre Class I Professors Technical Govt. Engg. College.	.. Not more than 45 years.	A post graduate Degree in Engg. in the Subject or equivalent thereof with about 7 years experience in teaching/ administration of Technical Education/ Research/ Works/ Practical / of which about 5 years should be in teaching in Engineering College.		

OR

At least Second class degree in the subject or equivalent thereof with about 10 years experience in teaching/ administration of Technical Education/ Research/ Works/ Practical / of which about 5 years should be in teaching in an Engg. College. Preference will be given to candidate possessing post Graduate Degree.

For Appl. 1st or 1nd class post Graduate Degree in Applied Geology or equivalent thereof with minimum of 7 years teaching or Research experience out of which 5 years should be in teaching in an Engg. College. Preference would be given to the candidates having higher qualification.

Post graduate degree in Engg. Or equivalent thereof with about 3 years experience in teaching/ Research works/ practical/ administration of Technical Education of which about one year of teaching in an Engineering College.

Readers Govt.
Engg. Colleges.

.. Not more than
40 years.

OR

OR

At least IIInd class degree in appropriate branch of Engineering or equivalent thereof with about 5 years experience in teaching /Research/ Works/ Practical/ Administration of Technical Edn. out of which about one year should be in teaching in an Engg. College. Preference will be given to the candidates possessing post graduate degree.

For Appl. Geology.

IIInd class post graduate degree in pure or Applied Geology or equivalent thereof with about (atleast) 3 years teaching and or practical experience in the field of Applied Geology and specialized knowledge of Geo-physics and or Geo-Chemistry.

Lecturers Technical
in Engg. Colleges.

A first class B.E. IIInd class B.E. with 1 year's experience.

Ass'tt. workshops
Superintend-
ents in Engg.
Colleges.

At least IIInd class B.E. or B.Sc. Degree in mech. Engg. or equivalent thereof with about 1 year's practical experience.

Note—The qualification of A.M.I.E. (passed Section 'A' and 'B') will be considered equivalent to a IIInd class Degree.

OR

At least IIInd class Diploma in Mech. Engg. or equivalent thereof with about 5 years experience out of which 2 years in workshop or of repute.

~~Procedure for the promotion poss.~~

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<i>Non-Technical Cadre.</i>						
Professors in Engg. Colleges.	30	50	Doctorate degree in the subject with about 10 years (Ten years experience upto post graduate classes in teaching or Research works.			
Reader in Engg. Colleges.	26	45	Doctorate degree in the subject and about 5 years experience upto post graduate classes in teaching or Research work.			
Lecturer classes I, 21 excluding Lecturer in English.	21	30	Essential:—First or Second class Masters degree or equivalent thereof. Preference:—Preference would be given to the candidates having teaching experience. 1st Or IIInd class masters degree in the subject Or equivalent thereof.			
Lecturers in English Class II	21	30				
<i>Polytechnics.</i>						
<i>Class I Cadre.</i>						
Principal, women Polytechnic	26	Not more than	At least IIInd class degree in Arts / Science / Home Science / Architecture / Engg. Or Pharmacy 40 with minimum 8 years experience in Educational Institution / Administration of which 3 years should be in teaching experience of Administration of Professional institute would be desirable.			
For Civil Mech. Elect. & Automobile Engg.	26	Not more than 40 years.	At least IIInd class degree in Engg. in the subject or A. M. I. E. in the subject with about 5 years teaching and or Research/Works/Practical experience of which atleast one year-in teaching including research. Preference will be given to the candidates possessing post graduate degree.			

Head of Deptt. in Polytechnics & Kalaniketan' Jabalpur.

For Printing Technology 26 Not more than Inter Science (Preferably B. Sc.) Diploma in Printing

For Printing Technology 26 Not more than Inter Science (Preferably B. Sc.) Diploma in Printing
(In Kalamketaan, Jabalpur)

40 years.

,

)

For Mining and Metallurgical Engg. in the Poly. 26 Not more than At least IInd Degree in Engg. in the subject or equivalent thereof with about 3 years teaching/Research/Practical Works experience.

)

Pharmacy in Polytechnics ... 26 Not more than Atleast II class degree in pharmacy or equivalent thereof with about five years teaching/Research experience. Preference will be given to the candidates possessing post Graduate degree.

)

Architectural Draughtsman- 26 Not more than Atleast Second Class B. Arch or N. D. in Arch. with ship in Women Poly. 40 years.

)

Costume Design & Dress 26 Not more than At least IInd class B. Sc. Degree in Textiles and cloth-making in Women Poly., 40 years.

)

Medical Lab. Technology 26 Not more than M. B. B. S. with 5 years experience out of which 2 years in Women Polytechnic, 40 years.

)

Secretarial practice & Stenography in Women Polytechnic, Bhopal. 26 Not more than At least IInd class Masters Degree in Commerce or business management with 1st degree in commerce 40 years.

)

M. D. equivalent in pathology with 3 years experience.

)

At least IInd class Masters Degree in Commerce or business management with 1st degree in commerce with 3 years of experience of teaching.

)

Second class Commerce dgrceth with Diploma in Secretarship of Company Law Board with 5 years experience out of which 3 years experience should be in teaching. Desirable ; Candidates should have knowledge and experience conducting surveys and or ganising the department.

will have to fulfil the following posts the promote prescribed for the promotion posts.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Lecturer in Technical Govt. Polytechnics and Kalaiketan, Jabalpur.	in 21	Not more than 30 years.	1st class degree in Engg OR IInd class Degree in Engineering or equivalent thereof with one year teaching/practical experience.	NOTE. The qualification of A. M. I. E. (pass section 'A' and 'B' of A. M. I. E.) will be considered as equivalent to a Second class Degree. OR Ist class diploma in respective branch of Engg. with five years teaching / practical experience out of which 3 years should be in teaching.	1st class diploma in respective branch of Engg. with 6 years teaching /practical experience out of which 4 years should be in teaching Preference would be given to the candidate having degree in engineering. OR IInd class D diploma in respective branch of Engg. with 6 years teaching /practical experience out of which 4 years should be in teaching Preference would be given to the candidate having degree in engineering.
Lect. Non-Technical. Physics, Chemistry & Math. in Govt. Polytechnics.	21	Not more than 30 years.	Essential. 1st or 2nd Class Master's degree. Preferential. Preference would be given to the candidates having teaching experience.	At least post graduate degree with 3 years experience of teaching in Polytechnic/Engg. Colleges/Higher Secondary Schools/Secondary Technical School or in Degree Colleges.	Post graduate degree in the subject. OR Ist class degree in the subject with one year experience. Bachelors degree with 3 years experience.
Lecturer in English	..	21	Not more than 30 years.	Do.	
Lecturer in Pharmacy	..	21	Not more than 30 years.		

Asstt. Lect. /Jr. Lecturer/ 21 No more than At least a degree in Engg. in the subject or Equivalent
 Sr. Instructor/Technical 30 years. thereof.
 Teacher of Govt. Poly.

OR

Asstt. Lect. / Jr. Lecturer/ 21
Sr. Instructor/Technical
Teacher of Govt. Poly-
technics, & Kalamketaan,
Jabalpur.

No more than
30 years.

No more than
At least a degree in Engg. in the subject or Equivalent
thereof.

OR

At least IIInd class Diploma in the subject or equivalent
thereof and about 3 years professional / teaching
experience.

Workshop Superintendent
in Polytechnics.

Not more
35 years

than
At least second class B. E. or B. Sc. Engg. in (Mech.)
Engg. and about one year practical experience.

OR

Ist or Second class Diploma with 5 years experience
out of which 3 years should be in workshop of repute.

NOTE,—the qualification of A. M. I. E. (class
section 'A' and 'B' of A. M. I. E.) will be
considered as equivalent to Second class
degree.

Asstt. Workshop Supdt.
Polytechnics.

Do.

A degree in Mechanical Engineering or equivalent
thereof.

OR

At least IIInd class Diploma in Mech. Engineering
with 3 years professional/teaching experience.

Superintendent Govt.
Secondary Technical
School, Class II.

Not more than
40 years.

B. E. Mechanical /Elect. Engg. or equivalent thereof
with about one year professional/teaching exper-
ience.

OR

At least IIInd class Diploma in Mech. or Elect. Engg.
or equivalent thereof and about 5 years experience
in administration of Technical Education/Workshop
or in teaching out of the period of experience
required about 3 years will be in teaching.

Note: For all the teaching posts the pre-mocore
will have to fulfil the academic qualifications
prescribed for the promotion posts.

Engineering
275-575-(Non-Tech.)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lecturer, (Technical) Secondary Technical School .. class II including Lecturers Technical Stream courses.	Not more than 30 years.	Degree in respective branch of Engg. or equivalent thereof .		
W/S. Foreman, S. T. S. Class II.	Do.	Diploma in respective branch of Engg. or equivalent thereof and 3 years practical Teaching experience.	OR	
<i>Lecturer (Tech.)</i>				
For Architectural Draughtsmanship.	21	Not more than 30 years.	Ist or IInd class B. Arch. or N. D. in Arch. with one year experience for 1st class and 2 years experience for IInd class.	
✓For Medical Lab. Technology.	21	Do.	Atleast IInd class M. B. B. S. or equivalent thereof with 1 year professional experience, or M. B. B. S. or M. Sc. in Biochemistry/Chemistry or equivalent thereof with 3 years' experience of teaching in similar courses.	
✓For Printing 21	Do.	Inter Science. Diploma in Printing with five years practical experience in Printing Industry.	
For Fine and Applied Arts	21	Do.	Diploma in Arts preferably in Ist class from a recognised Institution or equivalent thereof.	

NOTE:—The qualification of A. M. I. E. (particulars) 'A' and 'B' of A. M. I. E.) would be considered as equivalent to a second class degree.

NOTE:—The qualification of A. M. I. E. will be considered equivalent to a degree in Engg.

Diploma in Mech. Engg. or equivalent thereof with about 3 years experience in Workshop or ref uie.

For Architectural Draughtsmanship. 21 Not more than 30 years. Ist or IInd class B. Arch. or N. D. in Arch. with one year experience for 1st class and 2 years experience for IInd class.

✓For Medical Lab. Technology. 21 Do. Atleast IInd class M. B. B. S. or equivalent thereof with 1 year professional experience, or M. B. B. S. or M. Sc. in Biochemistry/Chemistry or equivalent thereof with 3 years' experience of teaching in similar courses.

✓For Printing 21 Do. Inter Science. Diploma in Printing with five years practical experience in Printing Industry.

Diploma in Arts preferably in Ist class from a recognised Institution or equivalent thereof.

For Fine and Applied Arts 21

Do. Diploma in Arts preferably in 1st class from a recognised Institution or equivalent thereof with 3 years' teaching or professional experience in commercial or applied Arts.

Lecturer Non-Technical

For Secretarial practice and 21
Stenography.

Do. IIInd class Masters Degree in Commerce or Business Management with 1st class degree in Commerce with 1 years' teaching experience. Preferable—
Diploma in Stenographer.

For Costume Design and 21
Dress Making.

Do. IIInd class Bachelors degree in Home Science with specialisation in Textile and Clothing. Desirable—
Masters Degree in Textile and Clothing or teaching experience.

Asstt. Lecturer/Jr. Lecturer/ Sr. Instructor.

For Medical Lab. Tech. 21
nology.

Do. M. Sc. in Chemistry with 2 years' experience in Medical Laboratory/Teaching.

For Architectural Draughts 21
manship.

Do. B. Arch. or N. D. in Architecture or Diploma in Arch. or equivalent thereof with 3 years' experience in Teaching / Practical.

For Secretarial Practice and 21
Stenography.

Do. At least IIInd class Masters Degree in Commerce or 1st class Degree in Commerce with Diploma in Hindi/English Stenography.

OR

IIInd class B. Com. with Diploma in Stenography
Hindi/English with 2 years' experience.

(3) (4) (5) (6)

Or

IIInd class Intercommerce with 7 years' experience
of Stenography in an important position as steno-
grapher to Head of Department or equivalent in
Business organisation.

For Costume Design and
Dress Making. 21 Not more than
30 years.

At least IIInd class Bachelors Degree with specialisation
in Tailoring and Instructor's Certificate in Tailoring
from recognised institute.

Or

Matriculation with Tailor Master's Diploma or equivalent
qualifications. Professional experience of minimum 5
years in an reputed tailoring establishment. The
candidate should able to give instructions in
English. Preference will be given to candidate
who have qualification in embroidery and needle
work in addition to above qualifications.

✓ For Printing Technology - 21 Do.
For Fine and Applied Arts 21 Do.

Inter Science, Diploma in Printing with 3 years'
practical experience in Printing Industry.

At least IIInd class Diploma in appropriate branch of
Arts from a recognised institutions with 2 years'
teaching/professional experience.

(1)

Lecturer, Technical Engg. Colleges 350-
950, Head of Departments 600-1000.
and Lecturers Technical 350-850 of
Polytechnics.

(2)

Readers Technical Engg.
Colleges 600-1150.

(3)

1. Chairman of P.S.C. or
any member of the P.S.
C. nominated by him.
2. Education Secretary.
3. Director of Technical
education.
4. Two Senior Principals
of Engg. College.

(4)

1. Lecturer Technical 250-600 (old) Engg.
Colleges and Polytechnics. Lecturer Technical Engg.
Colleges 350-850.
Lecturer Technical Polytechnics 350-850. Head of Deptt. Polytechnics
600-1000.
Lecturers Non-Technical, Engg. Colleges, Readers Non-Technical Engg.,
350-850/Professors Degree Colleges 550-950. Colleges 600-1150.
Lecturers Non-Tech. Polytechnics, 275-575 Lecturers Non-Technical, Engg.
Assst. Professors 360-700. College 350-850.
✓ Lecturers Non-Tech. S.T.S. 250-450. Lecturers Non-Tech. Polyte-
chnics, 275-575.
Assistant Workshop Superintendent, Engg. Workshop Superintendent, Engg.
Colleges, 350-850, Workshop Superinten- Colleges 600-1150.
dent, Polytechnics 350-850.
Asstt. Workshop Superintendent, Polytechnics Workshop Superintendent Poly. 350-850.
260-500/Supintendent, S. T. S. (Mech. & Asstt. Workshop Supdt.
Branch) 360-700. Engineering College 350-
850, Workshop Foreman
kalamiketan, Jabalpur (350-850).

Workshop Foreman S. T. S. 300-580 Lecturer

Workshop Foreman, S. T. S. 300-580, Lecturer
Technical S. T. S. of Mech. and Elect.
Branch 300-580.

Asst. Lecturers (Jr. Lecturers Sr. Instructor)
Technical Teachers poly. excluding Women
Polytechnic and Kalaniketan, Jabalpur
260-580 and Superintendent, S. T. S.
360-700/-

Jr. Instructor Polytechnic and Kalaniketan,
Jabalpur 160-300 Master Instructor S. T.
S. 190-300 and Draughtsman 170-315
plus S. P. Rs. 25/- P.M.

Superintendent, S. T. S.
360-700.

Lecturer Technical, Polytechnics
Kalaniketan, Jabalpur 350-850/-

Do

Ass't. Workshop Super. Poly-
technics 260-300/- Asst.
Lecturer/Jr. Lecturer, Sr.
Polytechnic
Instructor,
260-500/ Workshop Foreman
and Lect.S.T.S. 300-580 and
Lecturer Stream Courses in
S. T. S. (275-475) Asst.
Lecturer/Sr. Instructor/
Technical Teacher Kalani-
ketan, Jabalpur (260-500).

Do

Principal, Kalaniketan,
Jabalpur 350-850.
Lecturer Technical Polytechnic, 350-850.
Degree
(holders)

Do

Lecturer Printing 350-850.
Head of Deptt. Printing

Do

Lecturer Printing and Fine and
Applied Arts 350-850.
Lecturers 350-850 Technical/
275-575 (Non-Tech.)

Women Polytechnic Bhopal: Ass't. Lecturer Jr. Lecturers/Sr. Instructors
260-500.

Note: For all the teaching posts the promotee
will have to fulfil the academic qualifications
prescribed for the promotion posts.

(1)	Administrative Posts	Lecturers Technical Engg. colleges and polytechnics 350-850/However the Govt. Services the right to draft persons from another administrative cadre which in their opinion is appropriate in view of duties/responsibilities attached to each post.	Dy. Director of Technical Education and Dy. Secretary, M.P. B.T.E., 600-1150(EGC-100) for technical if drawn from Tech. cadre 550-950 3. Director of Technical Education.
(2)		Lecturers Non-technical 275-575 of polytechnics and Superintendents of Directorate of Technical Education.	Asstt. Director Technical Education (275-770)
(3)		Lecturers Non-Technical 275-575 of Polytechnics/ Lecturers non- technical (250-450) of Secondary Technical School and Superintendents of M. P. Board of Technical Education and Directorate of Technical Education.	Asstt. Secretary, M. P. Board of Technical Education (275-770)
(4)		Head Clerk of Engineering Colleges polytechnics 160-240.	Registrar, Engineering Colleges, 275-475.

कायली, संचालक, विधिक विद्या,
मध्यप्रदेश भौतिक

Workshop Foreman, S. T. S. 300-580, Lecturer Superintendent, S. T.S.	Do
Technical S. T. S. of Mech. and Elect. 360-700.	
Branch 300-580.	
Asstt. Lecturers/Jr. Lecturers/Sr. Instructor/ Technical Teachers poly. excluding Women Polytechnic and Kalaniketan, Jabalpur 260-500 and Superintendent, S. T. S. 360-700/-	Do
Jr. Instructor Polytechnic and Kalaniketan, Jabalpur 160-300/Master Instructor S. T. S. 190-300 and Draughtsman 170-315 plus S. P. Rs. 25/- P.M.	Asstt. Werkstcp Supdt. Poly-technics 260-500/- Assit. Lecturer/Jr. Lecturer, Sr. Instructor, Polytechnic 260-500/Workshop Foreman and Lect. S.T.S. 300-580 and Lecturer Stream Courses in S. T. S. (275-475) Assit. Lecturer/ Sr. Instructor/ Technical Teacher Kalaniketan, Jabalpur (260-500).
Kalaniketan, Jabalpur	Lecturer Technical Polytechnic, 350-850 and Kalaniketan, Jabalpur (Degree holders)
Lecturer Printing 350-850.	Principal, Kalariketan, Jabalpur 660-1100.
Asstt. Lecturer/Sr. Instructor Printing and Fine and Applied Arts 260-500/-	Head of Deptt. Printing 600-1000.
Women Polytechnic Bhopal: Asstt. Lecturer/Jr. Lecturers/Sr. Instructors 260-500.	Lecturer Painting and Fine and Applied Arts 350-850.
	✓ Do
	Lecturers 350-850 Technical/ 275-575 (Non-Tech.)

Note: For all the teaching posts the promotee will have to fulfill the academic qualifications prescribed for the promotion posts.

(1)

Administrative Posts

(2)

Lecturers Technical Engg. colleges and polytechnics 350-350/However the Govt. Services the right to draft persons from another administrative cadre which in their opinion is appropriate in view of duties/responsibilities attached to each post.

(3)

Dy. Director of Technical Education and Dy. Secretary, M.P.E.T.E., 600-1150(60-100) for technical if drawn from Tech. cadre 550-950 3. Director of Technical Education.

(4)

I. Chairman o the P.S.C or any member of PSC nominated by him. 2. Education Secretary, Tech. cadre 550-950 3. Director of Technical Education.

Lecturers Non-technical 275-575 of polytechnics and Superintendents of Directorate of Technical Education.

Do.

✓ Lecturers Non-Technical 275-575 of Polytechnics; Lecturers non-technical (250-450) of Secondary Technical School and Superintendents of M. P. Board of Technical Education and Directorate of Technical Education.

Do.

Head Clerk of Engineering Colleges poly-technics 160-240. Registrar, Engineering Colleges, 275-475.

Do.